भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 1317

07 मार्च,2008 को उत्तर के लिए

बड़े शहरों के आस-पास नए कस्बे बनाना

1317.श्री एम0पी0 वीरेन्द्र कुमारः

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रियल इस्टेट के बढ़ते मूल्यों को रोकने तथा बड़े शहरों में जनसंख्या के भार को कम करने के लिए बड़े शहरों के आस-पास नये कस्बे बनाने के लिए कोई नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शहरी विकास मंत्री

(श्री एस0 जयपाल रेड्डी)

(क)तथा(ख):- जी नहीं, तथापि ऐसे नीतिगत निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लिए जाते हैं क्योंकि शहरी स्थानीय निकाय राज्य का विषय है ।

****

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 1319

07 मार्च,2008 को उत्तर के लिए

आरक्षित श्रेणियों में फ्लैटों का बैकलॉग

1319.श्री परसुराम माझी:
श्री लाल मणि प्रसाद:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आरक्षित लोगों के लिए फ्लैट/प्लाटों का काफी बैकलॉग है;

(ख) यदि हां, तो इसे पूरा करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन मुद्दों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों के अखिल भारतीय परिसंघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ड.) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

शहरी विकास मंत्री

(श्री एस0 जयपाल रेड्डी)

(क):- दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि किसी भी आवास स्कीम के अंतर्गत आरक्षित श्रेणियों के संबंध में फ्लैटों के आबंटन हेतु कोई बकाया संख्या नहीं है । इसके अतिरिक्त रोहिणी आवासीय स्कीम, 1981 के तहत 150 भूतपूर्व सैनिकों के मामले को छोड़कर आरक्षित श्रेणियों को प्लाटों के आबंटन में कोई बकाया संख्या नहीं है ।

(ख)तथा(ग):- रोहिणी आवासीय स्कीम, 1981 के तहत 150 भूतपूर्व सैनिकों के मामले में प्लाटों का आबंटन प्लाटों की उपलब्धता और 1% आरक्षित कोटा के अनुसार उनकी बारी आने पर निर्भर करता है ।

(घ):- जी हाँ ।

(ड.):- संगठन को 8.5.2007 को उत्तर भेजा गया था ।

****

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 1323

07 मार्च,2008 को उत्तर के लिए

रियल इस्टेट के लिए विनियमन

1323.श्री एस0के0 खारवेनथन:
श्री रमेश दूबे:
श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रियल इस्टेट की कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए रियल इस्टेट मेनेजमेंट (रेग्यूलेशन एण्ड कंट्रोल) बिल का मसौदा तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस विधेयक को कब तक लाये जाने की संभावना है?

उत्तर
शहरी विकास मंत्री
(श्री एस0 जयपाल रेड्डी)

(क)से(घ):- भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के अनुसार ''स्थानीय सरकार'' राज्यों का विषय है । गैर-सरकारी डिवेलपरों और बिल्डरों का विनियमन राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों/विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो राज्य नगर और ग्राम नियोजन/नगर विकास प्राधिकरण अधिनियमों के उपबंधों के अंतर्गत उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं । तथापि, सरकार स्थावर सम्पदा प्रबंधन (विनियमन और नियंत्रण) विधेयक तैयार करने पर विचार कर रही है जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए लागू होगा तथा अन्य राज्यों के लिए भी माडल कानून के रुप में कार्य कर सकता है । इस समय इस विधेयक का प्रारुप तैयार किया जा रहा है ।

****

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 1340

07 मार्च,2008 को उत्तर के लिए

अक्षरधाम मंदिर के निकट खेलगांव परिसर में फ्लैटों का निर्माण

1340.डा0 टोकचोम मैन्याः
श्री रशीद मसूदः

*क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः*

(क) दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के निकट खेलगांव हाउसिंग कम्पलेक्स में कितने फ्लैटों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इन अपार्टमेंटों के निर्माण में शामिल एजेंसियों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार खेलों के बाद फ्लैटों को बेचने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन अपार्टमेंटों के मूल्य को निर्धारित करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं?

उत्तर

शहरी विकास मंत्री

(श्री एस0 जयपाल रेड्डी)

(क) 1168

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मैसर्स एमार एम जी एफ कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लि0 को इस परियोजना हेतु विकासकर्त्ता चुना है ।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि दो तिहाई फ्लैटों का निपटान विकास कर्त्ता द्वारा किया जाएगा तथा बचे हुए एक तिहाई फ्लैटों का निपटान राष्ट्रमंडल खेल 2010 के बाद डीडीए द्वारा किया जाएगा जिसके लिए मूल्य निर्धारण के मानदण्ड अभी तक निश्चित नहीं किए गए हैं ।

****

मूल-हिन्दी

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 1349

07 मार्च,2008 को उत्तर के लिए

के0लो0नि0वि0 द्वारा त्रैमासिक व्यय

1349.श्री मनसुखभाई डी0 वसावाः
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटीलः

*क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः*

(क) विगत दो वर्षों के दौरान त्रैमासिक आधार पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा खर्च की गई राशि और उक्त अवधि के दौरान विभाग द्वारा अर्जित आय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय द्वारा आपत्ति उठाए जाने के बावजूद के0लो0नि0वि0 अपनी निधियों का बड़ा भाग वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में ही खर्च करता है;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार को कितनी सफलता मिली है?

उत्तर

शहरी विकास मंत्री

(श्री एस0 जयपाल रेड्डी)

(क):- विगत दो वर्षों के दौरान त्रैमासिक व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :

आंकड़े करोड़ में

त्रिमाही	2005-06	2006-07
1.	332.46	344.96
2.	343.29	329.04
3.	304.04	334.55
4.	331.81	381.18

उक्त दो वर्षों के लिए आय का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष 2005-06 90.67 करोड़ रूपये

वर्ष 2006-07 101.47 करोड़ रूपये

(ख):- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा व्यय समान रूप से वितरित किया गया है जैसा कि उपरोक्त (क) में *उल्लिखित त्रैमासिक रुझानों से* देखा जा सकता है ।

(ग) और (घ):- उपरोक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता

****

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 1357

07 मार्च,2008 को उत्तर के लिए

पेयजल आपूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता

1357.श्री दुष्यंत सिंहः

*क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः*

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ बनाने के लिए और अधिक केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है?

उत्तर

शहरी विकास मंत्री

(श्री एस0 जयपाल रेड्डी)

(क) और (ख):- जी, हां । शहरी विकास मंत्रालय ने, छोटे एवं मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अन्तर्गत राजस्थान के उदयपुर कस्बें में एक जल आपूर्ति परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता की प्रथम किस्त के रूप में 22.38 करोड़ रू0 की धनराशि जारी की है ।

शहरी विकास मंत्रालय *द्वारा* जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अन्तर्गत राजस्थान के अजमेर और पुष्कर के लिए 284.11 करोड़ रू0 की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के साथ 355.15 करोड़ रू0 की अनुमोदित लागत वाली दो जल आपूर्ति की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं । 75.49 करोड़ रू0 की राशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राजस्थान सरकार को दी जा चुकी है ।

****

मूल-हिन्दी

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 1367

07 मार्च,2008 को उत्तर के लिए

शैक्षणिक संस्थानों को आबंटित भूमि

1367.श्री रामदास आठवलेः

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बहुत से शैक्षणिक संस्थानों तथा सामाजिक संगठनों ने भूमि आबंटन हेतु भूमि विकास कार्यालय में आवेदन किया है/प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को भूमि आबंटन कर दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विद्यालय-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शहरी विकास मंत्री

(श्री एस0 जयपाल रेड्डी)

(क):- जी हाँ ।

(ख):- भूमि की कमी और विभिन्न सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों और राजनीतिक दलों से भूमि के आवंटन हेतु प्राप्त प्रस्तावों के काफी संख्या में लंबित रहने के कारण, इन अनुरोधों पर आबंटन हेतु विचार नहीं किया गया है ।

(ग):- जी नहीं ।

(घ):- उपर्युक्त(ग) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता ।

****

मूल-हिन्दी

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 2750

31 अगस्त, 2007 को उत्तर के लिए

सी0पी0डब्ल्यू0डी0 के लिए विदेशों से कार्य आदेश

2750. श्री एस0के0 खारवेनथनः

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी0पी0डब्ल्यू0डी0 को विदेशों से कार्य आदेश प्राप्त करने का अधिदेश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी0पी0डब्ल्यू0डी0 विदेश में कार्य करने के लिए साधन सम्पन्न है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क):- जी, नहीं ।

(ख),(ग)और(घ):- उपर्युक्त ''क'' के आलोक में प्रश्न नहीं उठता ।

****

मूल-हिन्दी

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 2751

31 अगस्त, 2007 को उत्तर के लिए

सी0पी0डब्ल्यू0डी0 में पदों में कमी

2751. श्री रघुबीर सिंह कौशलः

*क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या रिक्त पदों को भरने में 10 प्रतिशत कटौती संबंधी आदेश सी0पी0डब्ल्यू0डी0 में लागू हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन आदेशों की वजह से कार्य की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

***(क):-** रिक्त पदों को भरने में 10% कटौती संबंधी कोई आदेश नहीं है ।*

***(ख)से(घ):-** प्रश्न नहीं उठता ।*

****

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं0 209

29 नवम्बर, 2007 को उत्तर के लिए

यमुना के तट पर खेल-सुविधा

209. श्री संतोष बागड़ोदिया:
सुश्री मैबल रिबैलो:

*क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या सरकार को यमुना नदी के तट पर राष्ट्रमंडल खेलों के लिए खेल परिसर की स्थापना को लेकर पर्यावरण समूहों के विरोध की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन आपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए ऐसे समूहों, स्थानीय सरकार, इसकी एजेंसियों और विशेषज्ञ दलों की सेवाए लेने के लिए कोई पहल की है;

(ग) क्या सरकार को इन पर्यावरण समूहों द्वारा जताई गई आशंका जायज लगी है, यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार प्रस्तावित खेल-सुविधा का स्थान बदलकर किसी वैकल्पिक स्थल पर करने पर विचार कर रही है?

उत्तर

शहरी विकास मंत्री

(श्री एस0 जयपाल रेड्डी)

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 2782

17 अप्रैल, 2008 को उत्तर के लिए

प्लाटों/फ्लैटों के आवंटन के लिए डीडीए की योजनाएं

2782. **श्री वरिन्दर सिंह बाजवाः**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा प्लाटों/फ्लैटों के आवंटन के लिए दस वर्ष से अधिक समय पहले शुरु की गई उन योजनाओं के नाम क्या है जो अब तक पूर्ण नहीं हुई है;

(ख) प्रत्येक योजना की वर्तमान स्थिति क्या है, कितने व्यक्ति पंजीकृत किए गए हैं, किन-किन व्यक्तियों को अब तक आवंटन मिल गया है और कौन-कौन अभी भी प्रतीक्षा में है;

(ग) इन योजनाओं की धीमी प्रगति के क्या कारण है; और

(घ) इसमें से प्रत्येक योजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क):- दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि भूखण्डों/ फ्लैटों के आवंटन के लिए उसके द्वारा शुरु की गई स्कीमों में से, पंजीकृत व्यक्तियों को एमआईजी/एलआईजी और ईडब्ल्यूएस/जनता भूखण्डों के आवंटन हेतु शुरु की गई रोहिणी रिहायशी स्कीम, 1981 ही एकमात्र ऐसी स्कीम है, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

(ख):- रोहिणी रिहायशी स्कीम, 1981 की वर्तमान स्थिति इस प्रकार हैः-

श्रेणी	पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या	किए गए आवंटन	वापस किए गए/रद्द किए गए	पिछला बकाया
एमआईजी	25,889	16,545	1208	8136
एलआईजी	38,105	24676	663	12766
जनता	18,390	13,948	38	4404
कुल	82384	55,169	1909	25306

(ग):- शेष पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटन, भूमि के अधिग्रहण/उपलब्धता तथा उसमें अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर निर्भर करता है ।

(घ):- उपर्युक्त (ग) के उत्तर के आलोक में कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बतायी जा सकती है ।

* * * * * * * * * *

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 2783

17 अप्रैल, 2008 को उत्तर के लिए

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीरकण मिशन के अंतर्गत महाराष्ट्र के लिए प्रस्ताव

2783. श्री गिरीश कुमार सांगी:
श्रीमती सुप्रिया सुले:

*क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या महाराष्ट्र अब जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत अग्रणी राज्य है जहां 6,393 करोड़ रुपये की लागत से 47 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार को गुजरात और आन्ध्र प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाओं से अधिक परियोजनाएं मिली है;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 23,000 करोड़ रुपये की लागत के 106 प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और केन्द्र ने इनमें से केवल 47 स्वीकृत किए हैं;

(घ) सभी 106 प्रस्तावों को स्वीकृत न किए जाने के मुख्य कारण क्या है;

(ड.) आन्ध्र प्रदेश और अन्य राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए परियोजना-प्रस्ताव कौन-कौन से हैं; और

(च) इन सभी प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क) तथा (ख) जी हां । महाराष्ट्र अब जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अन्तर्गत अग्रणी राज्यों में से एक है जिसमें 7732.45 करोड़ रुपए की लागत की 56 परियोजनाएं अनुमोदित की जा रही हैं । गुजरात और आन्ध्र प्रदेश के लिए क्रमशः 55 और 39 परियोजनाएं मंजूर की गई है ।

***(ग) तथा(घ):-** महाराष्ट्र सरकार ने 36379.27 करोड़ रुपए लागत के 141 परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं । जेएनएनयूआरएम दिशानिर्देशों के अनुरुप पाई गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) पर केन्द्रीय मंजूरी और निगरानी समिति सीएसएमसी) द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किया जाता है । महाराष्ट्र के लिए कुल 7732.45 करोड़ रुपए की अनुमादित लागत पर 56 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें मंजूर की गई हैं ।*

***(ड.) तथा च):-** अब तक आन्ध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों से प्राप्त 713 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं । उपर्युक्त 713 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में से जेएनएनयूआरएम दिशानिर्देशों के अनुरुप पाई गई 324 परियोजना प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं । 2011-12 में समाप्त होने वाली मिशन अवधि की शेष अवधि के दौरान विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के अनुमोदन के लिए उनका जेएनएनयूआरएम दिशानिर्देशों के अनुरुप होना अपेक्षित है ।*

****

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 2784

17 अप्रैल, 2008 को उत्तर के लिए

दुकानों और वाणिज्यिक सम्पत्तियों की सील खोला जाना

2784. श्री धर्म पाल सभ्रवाल:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वह सच है कि निगरानी समिति के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण दिल्ली में दुकानों और वाणिज्यिक सम्पत्तियों की सील खोले जाने की प्रक्रिया बहुत धीमी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सील खोलना प्रशासनिक मामला है, सम्पत्तियों की सील खोलने की शक्तियां एमसीडी के पास हैं; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में सील खोलने की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए एमसीडी को सील-खोलने की शक्तियों का हस्तांतरण करने के लिए क्या-क्या कानूनी कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क) से (ग):- भारत के उच्चतम न्यायालय ने " एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य " के मामले में दिनांक 3.4.2006 के आदेश के तहत ऐसे रिहायशी परिसरों को सील करने का निदेश दिया है जिन्होंने भू-उपयोग के निबंधनों का उल्लंघन अर्थात वाणिज्यिक स्थापनाओं हेतु रिहायशी परिसरों का दुरुपयोग किया है । अपने आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक निगरानी समिति गठित की । उच्चतम न्यायालय के निर्देशों निबंधनों के अनुसार, दुरुपयोग के कारण सील किए गए परिसरों की सील हटाने का कार्य निगरानी समिति की विधिवत मंजूरी से किया जाएगा । उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में दिल्ली नगर निगम, निगरानी समिति के यथोचित अनुमोदन से परिसरों की सील हटाती रही है । दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि कुछ समय तक सील हटाने का कार्य धीमा रहा , क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे थे जिनपर निगरानी समिति दिल्ली नगर निगम के अभिमतों से सहमत नहीं थी ।

* * * * * * * * * *

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 2785

17 अप्रैल, 2008 को उत्तर के लिए

गलत ढंग से सील की गई सम्पत्तियों की सील खोला जाना

2785. श्री धर्म पाल सभ्रवालः

*क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः*

(क) क्या यह सच है कि विगत छह महीनों के दौरान दक्षिणी दिल्ली में अनेक परिसरों को गलत ढंग से सील किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गलत ढंग से सील किए गए ऐसे परिसरों का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे परिसरों की प्राथमिकता आधार पर सील खोलने के लिए प्राधिकारियों ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) दस्तावेजों का सत्यापन किए बिना परिसरों को सील करने के लिए चूककर्ता पदाधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क)तथा(ख):- *दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम ने यह सूचना दी है कि विगत 6 महीनों के दौरान दक्षिणी दिल्ली में परिसरों को गलत ढंग से सील नहीं किया है । सीलिंग अभियान की निगरानी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा की जा रही है ।*

(ग)और(घ):- *उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता ।*

****

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 2786
17 अप्रैल, 2008 को उत्तर के लिए

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यपालक इंजीनियर

2786. श्री प्यारे लाल खंडेलवालः

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कार्यपालक इंजीनियर के ग्रेड में तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए कुछ लोग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन के बगैर एक वर्ष से ज्यादा की अवधि के लिए इसी पद पर सेवा कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विभाग के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

उत्तर
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अजय माकन)

(क):- जी, हाँ ।

(ख):- विभाग ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से तदर्थ नियुक्ति की अवधि को एक वर्ष से अधिक करने हेतु स्वीकृति मांगी है ।

****

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 4731

25 अप्रैल, 2008 को उत्तर के लिए

कार्बन उत्सर्जन में कमी

4731.श्री जे0एम0 आरुन रशीदः

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को मुंबई में बी0एम0सी0 द्वारा कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी करने तथा सुधार करने के उद्देश्य से कूड़ा डालने के स्थल को बंद कर दिए जाने की जानकारी है जैसा कि दिनांक 11 दिसम्बर, 2007 के ''इंडियन एक्सप्रैस'' (दिल्ली) में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के माध्यम से बी0एम0सी0 को राजस्व अर्जन की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य महानगरीय शहरों तथा जिला स्तर के बड़े शहरों में व्यवहार्यता अध्ययन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार का अध्ययन कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क)और(ख):- जी, हाँ ।

(ख)और(घ):- कार्बन क्रेडिट का लाभ उठाने से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने सहित नगर पालिका ठोस कूड़े के प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं की योजना बनाने, उनका डिजाईन तैयार करने, उनका कार्यान्वयन करने, उनका संचालन करने तथा उनका रखरखाव करने का कार्य राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों का है । सभी महानगरों और जिला स्तरीय कस्बों में कार्बन उत्सर्जन को रोकने के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन करवाने का शहरी विकास मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

****

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 4733

25 अप्रैल, 2008 को उत्तर के लिए

स्टॉफ के लिए सरकारी आवास

4733. डा0 के0 धनराजू:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में केन्द्र सरकार के अनेक कर्मचारी अभी भी सरकारी आवास पाने हेतु प्रतीक्षा सूची में है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विशेष रुप से दिल्ली में कर्मचारियों को सुविधा देने हेतु हर श्रेणी के सरकारी क्वार्टरों की संख्या को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क):- जी हाँ, दिल्ली में टाइप-ए श्रेणी के आवास को छोड़कर ।

(ख):- सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण करना एक सतत प्रक्रिया है, जो विभिन्न स्थलों पर इनकी आवश्यकता तथा बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है । इस समय निर्माणाधीन विभिन्न प्रकार के मकानों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है ।

****

अनुलग्नक

निर्माणाधीन मकानों का ब्यौरा

क्र0 सं0	स्टेशन	क्वार्टरों की संख्या I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	क्वार्टरों की कुल सं0
1	सिलिगुड़ी		22	23	14					59
2	शिमला		12	06						18
3	मुम्बई				176					176
4	गुवाहाटी		08	08	08					24
5	दिल्ली		300				376	104	19	799
6	कालीकट		14	14	14	14	02			58
	कुल		**356**	**51**	**212**	**14**	**378**	**104**	**19**	**1134**

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 4735

25 अप्रैल, 2008 को उत्तर के लिए

सरकारी आवासों के संबंध में स्वामित्व

4735.श्री संतोष गंगवारः

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा किराए पर/लाइसेंस शुल्क आधार पर आवंटित फ्लैटों के संबंध में स्वामित्व का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क):- सरकार द्वारा किराए पर/लाइसेंस शुल्क आधार पर आबंटित फ्लैटों के संबंध में स्वामित्व का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है ।

(ख)और(घ):- उपरोक्त(क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता ।

****

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 4747

25 अप्रैल, 2008 को उत्तर के लिए

दिल्ली में जलापूर्ति की कमी

4747.श्री नकुलदास राईः

*क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः*

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के बीच मतभेदों के कारण दिल्ली की कुछ कालोनियों में जलापूर्ति में भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आराम बाग क्षेत्र सहित सरकारी आवास कल्याण संघों से इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क) से (घ) :- दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) के फ्लैटों, जिनमें आरामबाग क्षेत्र भी शामिल है, को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बल्क पानी के कनेक्शन दिए गए हैं । परिसर के अंदर पानी के आंतरिक वितरण का प्रबंधन के.लो.नि.वि. द्वारा किया जाता है । दिल्ली जल बोर्ड से पानी की कमी होने पर कई बार के.लो.नि.वि. परिसरों में पानी की कमी हो जाती है ।

दिल्ली जल बोर्ड ने यह सूचित किया है कि जहाँ तक आरामबाग क्षेत्र का संबंध है, पानी चन्द्रावल जल शोधन संयंत्र से आता है । लगभग $11/_2$ माह के दौरान वजीराबाद जलाशय में पानी का स्तर नीचे था जिसके कारण चन्द्रावल जल शोधन संयंत्र पर उत्पादन कम था अत: चन्द्रावल जल शोधन संयंत्र के संपूर्ण कमांड क्षेत्र में पीने के पानी की कमी थी । तथापि अब स्थिति लगभग सामान्य हो गई है ।

****

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 4752

25 अप्रैल, 2008 को उत्तर के लिए

लुटियन बंगला जोन में कमी

4752.श्री नवीन जिन्दलः

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली शहरी कला आयोग और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने लुटियन बंगला जोन (एलबीजेड) के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर कमी करने की सिफारिश की है, जैसा कि दिनांक 18 फरवरी, 2008 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क)से(ग):- दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि जोन "डी" के भीतर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले क्षेत्र के संबंध में उसे एनडीएमसी और दिल्ली नगर कला आयोग (डीयूएसी) द्वारा तैयार प्रारुप जोनल विकास योजना 2021 प्राप्त हो गई है जिस पर विकास (मास्टर प्लान तथा जोनल विकास योजना) नियम, 1959 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के अंतर्गत अपेक्षित कार्यवाही की जानी है । ल्यूटियन बंगला जोन (एलबीजैड) जोन डी में स्थित है और एनडीएमसी के प्रारुप में अन्य बातों के साथ-साथ ल्यूटियन बंगला जोन (एलबीजैड) के मौजूदा कुल क्षेत्र में कटौती का सुझाव दिया गया है । डीयूएसी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि ल्यूटियन बंगला जोन (एलबीजैड) की संकल्पना के स्थान पर ल्यूटियन कंजरवेसन जोन (एनसीजैड) की संकलपना को रखा जाए जिसमें अपेक्षाकृत बड़ा क्षेत्र शामिल है । जोनल योजना को अंतिम रुप देने में प्रारुप योजना का प्रकाशन, जनता के सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करना, प्राधिकरण द्वारा विचार करना और केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन सहित विस्तृत प्रक्रिया निहित है ।

****

मूल-हिन्दी

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 4756
25 अप्रैल, 2008 को उत्तर के लिए

भू-जल सतर में गिरावट

4756.श्री हेमलाल मुर्मू:

*क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या सरकार का ध्यान गिरते भू-जल के स्तर के संबंध में दिनांक 11 मार्च, 2008 के ''दैनिक जागरण'' में ''पानी पाने के प्रयासों को ब्रेक'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अजय माकन)

***(क):-** जी, हाँ ।*

***(ख)और(ग):-** दिल्ली का नांगलोई जल शोधन संयंत्र वर्ष 1998 में बनकर तैयार हुआ । संयंत्र को चलाने के लिए दिल्ली के पास कच्चा जल उपलब्ध नहीं था । माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10 मई, 2000 को आदेश दिया कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) नांगल में 125 क्यूसेक अतिरिक्त जलापूर्ति करेगा । केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निरीक्षण और पुनरीक्षण करने के बाद लिए गये निर्णय के अनुसार इसे दिनांक 27-5-2000 को कम करके 60 क्यूसेक कर दिया ।*

केन्द्रीय जल आयोग ने इस प्रणाली का और निरीक्षण करने के आधार पर दिनांक 31.5.2007 को आदेश दिया कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा पूरे 125 क्यूसेक जल की आपूर्ति की जाएगी और पंजाब तथा हरियाणा सरकार अपनी-अपनी नहरों से इस अतिरिक्त जल को ले जाने की व्यवस्था करेगी । जबकि दिनांक 7.6.2007 को अतिरिक्त पानी छोड़ा गया और पंजाब द्वारा इसे हरियाणा राज्य तक ले जाया गया , लेकिन हरियाणा राज्य इस जल को आगे ले जाने के लिए सहमत नहीं हुआ और तभी से इस अतिरिक्त जलापूर्ति का उपयोग करना शुरु कर दिया ।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दिनांक 3.8.2007 को एक बैठक की गई और हरियाणा राज्य को निदेश दिया गया कि वह नांगलोई जल शोधन संयंत्र के लिए निर्धारित अतिरिक्त जल दिल्ली तक पहुँचा कर आदेशों का पालन करे । हरियाणा राज्य ने निदेशों का पालन करने से मना कर दिया है । दिल्ली जल बोर्ड ने यह बताया है कि उसने उच्चतम नयायालय में अवमानना याचिका दायर कर दी है ।

****

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न 81

23 अक्तूबर,2008 को उत्तर के लिए

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए होटल में ठहरने की जगह

***81. श्री रामदास अग्रवालः**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) " राष्ट्रमंडल खेल-2010" के आयोजन को देखते हुए दिल्ली में, 50,000 स्वीकृत कमरों की कथित मांग की तुलना में सितारा और बजट दोनों श्रेणियों के होटलों में स्वीकृत कमरों की उपलब्धता के संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उनके मंत्रालय को शहर में विद्यमान तथा निर्माणाधीन सभी होटलों के फर्शी क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

शहरी विकास मंत्री

(श्री एस. जयपाल रेड्डी)

(क) से (घ):- एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

" राष्ट्रमंडल खेलों के लिए होटल में ठहरने की जगह" के बारे में 23-10-2008 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं0 81 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

***

(क) वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सभी श्रेणी के अनुमोदित / वर्गीकृत होटलों में लगभग 11000 कमरे हैं । पर्यटन मंत्रालय ने दिल्ली में 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सभी श्रेणियों के होटलों के तहत अतिरिक्त लगभग 30,000 कमरों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है । इसके अतिरिक्त , 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए होटल में कमरों की संख्या बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नई होटल परियोजनाएं कार्यान्वियनधीन हैं । पर्यटन मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि इस प्रयोजन के लिए गठित कार्यबल ने आकलन किया है कि 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 14264 कमरों की व्यवस्था की जा रही है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में आरंभ की गई बैड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के अंतर्गत तथा गैस्ट हाऊस मानकों को उदार बनाये जाने के कारण यह अपेक्षा है कि इससे अतिरिक्त कमरें उपलब्ध होंगे । हाल ही में दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में होटलों के लिए विकास नियंत्रण मानकों को उदार बनाने हेतु संशोधन किये जाने से अतिरिक्त कमरों के निर्माण की सुविधा मिलने की भी आशा है ।

(ख) से (घ):- डीडीए से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर , सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होटलों में विकास नियंत्रण मानकों में संशोधन करते हुए दिनांक 12-8-2008 को अधिसूचना जारी की है ।

--

मूल हिन्दी

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न 84
23 अक्तूबर,2008 को उत्तर के लिए

शहरों में यातायात की स्थिति

***84. डा0 मुरली मनोहर जोशी :**
श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में बसों, स्कूटरों, मोटर साइकिलों व कारों के बढ़ते उत्पादन और इनके उपयोग के कारण बड़े शहरों में ही नहीं वरन् छोटे शहरों में भी यातायात की स्थिति कठिन हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इस समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्य-योजना बनाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इस समस्या के समाधान हेतु इसे जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन(जे.एन.एन.यू.आर.एम) के अन्तर्गत शामिल नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर
शहरी विकास मंत्री
(श्री एस. जयपाल रेड्डी)

(क) से (ड.):- एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है 1

--

विवरण

शहरों में यातायात की स्थिति के संबंध में 23-10-2008 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं0 84 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

***

(क) : जी हां ।

(ख) से (घ):- शहरी परिवहन मुख्यतः राज्य का विषय है । इसलिए सड़कों पर मोटर वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण होने वाली समस्याओं से निपटने की जिम्मेदारी मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार की है । तथापि, तेजी से बढ़ती शहरी परिवहन की समस्या की गंभीरता को देखते हुए केन्द्र सरकार ने अप्रैल,2006 में राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति(एनयूटीपी) तैयार की है । इसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ एकीकृत भू-उपयोग और परिवहन आयोजना, सार्वजनिक परिवहन और परिवहन के मोटर-रहित साधनों के ज्यादा उपयोग, सुव्यस्थित परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहित करना है । इसमें, सार्वजनिक परिवहन, मोटर रहित परिवहन और सुव्यस्थित परिवहन प्रणालियों आदि में निवेश प्राथमिकताओं वाली शहरी परिवहन निवेशों हेतु केन्द्रीय सहायता लेने के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं ।

(ड.) शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए सहायता को जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और अन्य स्कीमों में स्पष्ट रुप से शामिल किया गया है ।जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अन्तर्गत अनुमत्य घटकों में सड़कों,राजमार्गों/फ्लाईओवरों / द्रुतजन परिवहन प्रणाली/ मैट्रो परियोजनाओं सहित शहरी परिवहन परियोजनाएं शामिल हैं । सार्वजनिक परिवहन और परिवहन के मोटर रहित साधनों के ज्यादा उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, इंदौर, भोपाल, पुणे,पिंपरी चिंचवाड, विजयवाड़ा,विशाखापट्टनम और जयपुर में अन्य शहरी परिवहन परियोजनाओं के अलावा जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत द्रुत बस परिवहन प्रणाली(बीआरटीएस) परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं । भारत सरकार दिल्ली मेट्रो के लिए भी सहायता मुहैया करा रही है । इसी आधार पर कोलकाता , बंगलौर और चैन्ने मेट्रो के लिए सहायता मुहैया करायी जायेगी अथवा किये जाने का प्रस्ताव है । हैदराबाद और मुम्बई मेट्रो के लिए वायविलिटी गैप फंडिंग(वीजीएफ) के रुप में सहायता मुहैया करायी जा रही है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ।

--

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न 756

23 अक्तूबर,2008 को उत्तर के लिए

आन्ध्र प्रदेश में जेएनएनयूआरएम परियोजनाएं

756. श्रीमती टी. रत्नाबाई :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में गत चार वर्षों के दौरान जे एन एन यू आर एम के अन्तर्गत योजनाओं हेतु कितनी राशि जारी की गई है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में वर्ष-वार प्रयुक्त की गई राशि क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश में विशेषकर पूर्व और पश्चिमी गोदावरी तथा विशाखापट्टनम में अभिज्ञात भावी कार्यक्रम क्या है ?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क) जेएनएनयूआरएम के अवस्थापना एवं शासन घटक के अन्तर्गत स्कीमों के लिए वर्ष 2005-06 से अब तक जो धनराशि जारी की गई है उसकी सूची अनुलग्नक-। के रुप में संलग्न है ।

(ख) तथा(ग):- सूचना आंध्र प्रदेश सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

--

23.10.2008 को राज्य सभा के अतरांकित प्रश्न सं0 756 के भाग (क) के उत्तर में उल्लखिति अनुलग्नक

***

राज्य का नाम	जारी धनराशि(रु0 लाख में)				
	2005-06	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**	**योग**
आन्ध्र प्रदेश	4472.50	4710.83	48916.54	490.93	58590.80
अरुणचल प्रदेश	0.00	0.00	2006.94		2006.94
असम	0.00	0.00	791.26	6321.15	7112.41
बिहार	0.00	0.00	461.93		461.93
छत्तीसगढ़	0.00	4800.00	1272.80		6072.80
गोवा	0.00	0.00			0.00
गुजरात	1844.00	15576.20	24563.54	10541.48	52525.22
हरियाणा	0.00	1297.88	1339.84	1297.88	3935.60
हिमाचल प्रदेश	0.00	522.61			522.61
जम्मू तथा कश्मीर	0.00	2359.35	6877.36		9236.71
झारखंड	0.00	0.00			0.00
कर्नाटक	0.00	10167.19	18955.86		29123.05
केरल	0.00	4405.00	6319.93	491.20	11216.13
मध्य प्रदेश	474.29	11107.42	7914.35	1527.62	21023.68
महाराष्ट्र	2219.79	41358.21	56827.52	16074.29	116479.81
मणिपुर	0.00	0.00	580.66		580.66
मेघालय	0.00	0.00			0.00
मिजारम	0.00	0.00	378.41		378.41
नागालैंड	0.00	0.00	179.00		170.00
उड़ीसा	0.00	120.26	9978.27		10098.53
पंजाब	0.00	2241.75	4145.29	4939.22	11326.26
राजस्थान	0.00	4146.93	10654.03	10075.41	24876.37
सिक्किम	0.00	0.00	538.20		538.20
तमिलनाडु	0.00	12913.28	16093.02	1808.90	30815.20
त्रिपुरा	0.00	0.00			0.00
उत्तर प्रदेश	0.00	1860.47	21365.55		23226.02
उत्तराखंड	0.00	0.00	1523.85	492.00	2015.85
प0 बंगाल	0.00	8708.45	5687.25	5534.57	19930.27
दिल्ली	0.00	0.00			0.00
पांडीचेरी	0.00	0.00	4068.00		4068.00
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00			0.00
चंडीगढ़	0.00	0.00	1544.92		1544.92
दादर एवं नागर हवेली	0.00	0.00			0.00

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न 757

23 अक्तूबर,2008 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

757. श्रीमती जया बच्चन :

क्या शहरी विकास *मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अवधारणा अब तक वास्तविकता में परिवर्तित नहीं हो पाई है;

(ख) यदि नहीं, तो अब तक परिवहन , कानून और व्यवस्था, जल साझेदारी आदि जैसे क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करने के प्रति एक समन्वित और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण न अपनाने का क्या कारण है; और

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शहरों का परिवहन, मेट्रो संचालनों तथा परिवहन के निजी साधनों द्वारा आपस में न जुड़े होने के कारण यात्रियों की परेशानियां बढ़ी हैं, के क्या कारण हैं ?

<u>उत्तर</u>

<u>शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

<u>(श्री अजय माकन)</u>

(क) तथा (ख):- जी, नहीं । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम,1985 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का सृजन हुआ ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार, समन्वित और उसके कार्यान्वयन की निगरानी की जा सके । बोर्ड ने आयोजना संबंधी अनेक कार्य शुरु किए हैं और क्षेत्र के नियोजित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवहन, बिजली,पानी, सीवरेज,कचरा प्रबंधन, आपराधिक गतिविधियों के नियंत्रण और निगरानी के लिए सांस्थानिक तंत्र , पुलिस आधुनिकीकरण जैसे विषयों से संबंधित होती है ।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी नगर सड़क और रेल नेटवर्क के जरिए अच्छी परिवहन व्यवस्था से जुड़े हैं । वर्तमान में दिल्ली से पांच राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) निकलते हैं अर्थात एनएच-।, एनएच-2,एनएच-8,एनएच-10 और एनएच-24 इन पांच के अलावा अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात एनएच-91, एनएच 58, एनएच 71, एनएच 71ए और एनएच 71 बी भी सड़क तंत्र को मजबूत करते हैं । दिल्ली के चारों तरफ परिधीय एक्सप्रैस-वे कार्यान्वयनाधीन है । स्टेट हाईवे भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी तरफ फैले हैं जैसे कि एसएच-10(गोहाना-जीन्द), एसएच -11(मुजफ्फरनगर-पानीपत-जीन्द), एसएच -13 (अलवर-जयपुर), एसएच -14(अलवर-मथुरा) एसएच -16(रोहतक-भिवाड़ी), एसएच -18 (बुलंदशहर-मुरादाबाद) एसएच -20(झज्जर-चरखी दादरी), एसएच -22(झज्जर-महेन्द्रगढ़), एसएच -24 (रेवाड़ी-महेन्द्रगढ़), एसएच -25(अलवर - नारनौल), एसएच -39(अनूपशहर-अलीगढ़), एसएच -47(मेरठ-बिजनौर), एसएच -57(बागपत-शामली)। उपर्युक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिला सडकों से अच्छी तरह जुडा है । यह भी निर्णय लिया गया है कि दिल्ली मेट्रो रेल का विस्तार अन्य नगरों अर्थात नोएडा और गुड़गांव तक किया जाए ।

--

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न 758

23 अक्तूबर,2008 को उत्तर के लिए

भवनों में शीशे का प्रयोग

758. श्री कमान अख्तर :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में भवनों में, विशेषकर शापिंग मॉल , व्यावसायिक केन्द्रों, जिला केन्द्रों, हवाई अड्डों, होटलों, होस्टल आदि में शीशे के चमत्कारिक रुप से बढ़ते प्रयोग और मानव दुर्घटना की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मानव सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने संबंधी उपाय किए हैं ;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या प्रमुख निर्माण एजेंसियों जैसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, आदि द्वारा अनुसरण किए जाने अथवा इनके संदर्भ के लिए कोई दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं ताकि भवनों में संवेदनशील जगहों पर उपयुक्त तरह के शीशे का प्रयोग कर मानव सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क) से (घ):- भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 में भवनों की संरचनात्मक पूर्णता, अग्नि सुरक्षा तथा उनकी के दशा संबंधी पहलुओं के संबंध में लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रावधानों का एक सेट दिया गया है ।भारतीय मानक ब्यूरो ने भवनों में शीशे के प्रयोग के संबंध में, पारंपरिक भवन निर्माण के लिए दो मानक प्रकाशित किए हैं , यथा (i) भवनों में ग्लेजिंग के लिए प्रक्रिया संहिता(आईएस 3548:1988) तथा (ii) पेटेंट ग्लेजिंग के लिए प्रक्रिया संहिता(आईएस 10439:1983)लेकिन इनमें विशेष रुप से सुरक्षा संबंधी मामलों को शामिल नहीं किया गया है ।

भारतीय मानक ब्यूरो, रसायन विभाग ने आई एस 2553(पार्ट-I): 1990 ' सेफ्टी ग्लास- विनिर्देशन: पार्ट-1 वास्तुकीय, भवन निर्माण तथा रेलवे उपयोग (तीसरा संशोधन) प्रकाशित किया है, जिसमें टफन्ड ग्लास तथा लेमिनेटेड सुरक्षा ग्लास का अपेक्षित परिमाप और मोटाई निर्धारित की गई है । इस मानक में विखण्डन जांच, वार्प, आघात प्रतिरोधी जांच, लाइट स्टेबिलिटी जांच, बॉयल जांच, फ्रेक्चर और अॅड्हसन जांच भी निर्धारित की गई है ।

-2-

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानक/संहिताएं अनिवार्य प्रकृति की नहीं हैं । भवनों के निर्माण में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यथा निर्धारित सामग्रियों के उपयोग के लिए प्रावधानों / विनिर्देशों को राज्य सरकारों के शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने भवन उप-नियमों में संशोधन करके अपनाया जा सकता है ।

जहां तक केलोनिवि का संबंध है, केलोनिवि के विनिर्देशनों तथा मानकों के अनुसार विनिर्दिष्ट मोटाई का शीशा प्रयोग में लाकर कार्यालय भवनों / क्वार्टरों में शीशों का प्रयोग करते समय मानव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी सावधानियां बरती जा रही है ।के.लो.नि.वि. के प्लिंथ एरिया दरों में भवनों की संरचनात्मक ग्लेजिंग का प्रावधान शामिल कर लिया गया है । फ्रेम वर्क की समुचित डिजाइन के बाद की संरचनात्मक ग्जेजिंग मुहैया करायी गयी है ।

--

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न 759

23 अक्तूबर,2008 को उत्तर के लिए

बंगलौर में बुनियादी ढांचे का विकास

759. श्री राजीव चन्द्रशेखर :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्णाटक राज्य सरकार ने हाल ही में एक ज्ञापन में केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि विभिन्न योजनाओं के तहत बंगलौर शहर में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष पैकेज दिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क) से (ग):- जी हां । कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में एक ज्ञापन में केन्द्र सरकार से बैंगलौर में बुनियादी ढांचे से सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 8500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने का अनुरोध किया है । शेष 8500 करोड़ रुपए की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी । योजना आयोग द्वारा कर्नाटक राज्य के लिए वर्ष 2005-2012 की अवधि हेतु किया गया सांकेतिक आबंटन 1374.59 करोड़ रुपए है । दिनांक 30-09.2008 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार ने 1267.26 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता(एसीए) देने का वचन दिया है । इस मंत्रालय ने जे-एन.एन.यू.आर.एम. के तहत समग्र आबंटन में वृद्धि करने का मामला योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है । इसके अलावा, भारत सरकार ने शहरों की क्रेडिट रेटिंग की है ताकि शहरों को बाजार से निधियां मिल सकें और उनके वित्तीय संसाधनों में वृद्धि हो सके ।

--

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न 760

23 अक्तूबर,2008 को उत्तर के लिए

सीपीडब्ल्यूडी के घटिया गुणवत्ता वाले कार्य

760. श्री एम.ए.एम. रामास्वामी :

क्या शहरी विकास *मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग(सीपीडब्ल्यूडी) के पूछ-ताछ कार्यालयों में, और विशेषकर सरोजनीनगर के '' जी आई ब्लाक'' में लिखित शिकायतों का सही तरीके से रख-रखाव नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या ठेकेदारों द्वारा कार्य में काफी घटिया सामग्री का प्रयोग किए जाने के संबंध में इस पूछ-ताछ कार्यालय में काफी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) ऐसे मामलों की संख्या क्या है जिमें इस पूछ-ताछ कार्यालय के सी0पी0डब्ल्यू0डी0 के इंजीनियरों ने मौके पर मामले की जांच की है;

(च) यदि हां, तो क्या कार्य में घटिया सामग्री के प्रयोग संबंधी कोई मामला प्रकाश में आया है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई ?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क) से (छ):- सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

--

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न 115

24 अक्तूबर,2008 को उत्तर के लिए

बीआरटी सिस्टम

***115. श्री सुखरम सुधाकर रेड्डी :**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन(जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम(बीआरटीएस) हेतु स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अन्य राज्यों में इन परियोजनाओं को स्वीकृति देते समय दिल्ली में बीआरटीएस के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीआरटी परियोजनाओं को स्वीकृति देते समय पदयात्रियों की सुरक्षा पर समुचित ध्यान दिया गया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

शहरी विकास मंत्री

(श्री एस. जयपाल रेड्डी)

(क) से (ड.):- एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

--

विवरण

बीआरटी सिस्टम के बारे में दिनांक 24-10-2008 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं0 115 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

***

(क) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन(जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना एंव शासन(यूआईजी) घटक के अन्तर्गत वित्तपोषण के लिए सरकार द्वारा, विभिन्न राज्यों से प्राप्त 408458.70 लाख रु0 की अनुमोदित लागत तथा 189508.05 लाख रु0 की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता वाली 16 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं । इस संबंध में ब्यौरे अनुलग्न-। में हैं ।

(ख) से (ड.):- बस रेपिड़ ट्रांजिट सिस्टम भारत में पहली बार लगाया जा रहा है जबकि में यह पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से स्थापित प्रणाली है । इस प्रकार किसी भी शहर में प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखा जा रहा है और नियमित कार्यशालाएं आयोजित करके अन्य शहरों को इस अनुभव से अवगत किया जा रहा है । शहरों को अपनी बीआरटीएस परियोजनाओं की विस्तृत डिजाइनों में इन सभी अनुभवों को पर्याप्त रुप से सम्मिलित करने का परामर्श दिया गया है । पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी बीआरटीएस परियोजना कारीडोरों में परियोजना के भाग के रुप में अनन्य रुप से पृथक मार्ग शामिल किया गया है । इसके समानान्तर पैदल यात्रियों के लिए क्रासिंग भी यातायात सिग्नलों के जरिए नियंत्रित और संरक्षित किए जाते हैं ।

--

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न 1151

24 अक्तूबर,2008 को उत्तर के लिए

मेट्रो रेल में सिस्मिक मीटर

1151.श्री ई0जी0सुगावनम :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल न्गिम(डीएमआरसी) का भूकम्प आने की स्थिति में अलार्म बजाने के लिए सिस्मिक मीटरों को लगाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें लगाने के लिए किन स्थानों की पहचान की गई है ?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) लिमिटेड ने यह सूचना दी है कि दो स्थानों नामतः विधान सभा और पटेल चौक पर पहले से ही सिस्मिक मीटर लगाये गए हैं ।

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न 1172

24 अक्तूबर,2008 को उत्तर के लिए

शहरी स्थानीय निकाय

1172.श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों(यूएलबी)के परियोजना कार्यान्वयन के संबंध में वित्तीय निष्पादन और क्षमताओं का आकलन करने का कार्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को सौंपा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या शहरी स्थानीय निकाय यूएलबी अब विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे ऋणदाता संस्थाओं से सीधे तौर पर निधियों को प्राप्त करने के पात्र होंगे ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क) चार क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों नामतः इण्डियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लि0(आईसीआरए), एफआईटीसीएच रेटिंग इण्डिया लि0 , क्रेडिट एनलिसिस एण्ड रिसर्च लि0(सीएआरआई) तथा सीआरईएसआईएल लि0 को जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन(जेएनएनयूआरएम) के तहत 69 शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट रेटिंग के मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है । नगरों की क्रेडिट रेटिंग करने से उन्हें विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से तथा म्यूनिसिपल बांड मार्केट से अन्य अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने पर निधियां प्राप्त करने में आसानी होगी ।

(ख) और(ग):- शहरी स्थानीय निकाय(यूएलबी) विश्व बैंक तथा एशिया विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय ऋण अदायगी संस्थाओं से सीधे ऋण नहीं ले सकते है । तथापि यूएलबी संबंधित राज्य सरकार की अनुमति से इन संस्थाओं से ऋण ले सकते है । राज्य सरकारों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार से इस संबंध में पूर्व अनुमति लेनी होगी ।

--

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न 1177

24 अक्तूबर,2008 को उत्तर के लिए

शहरी अवसंरचना के लिए जेबीआईसी सहायता

1177.श्री भर्तृहरि महताब :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन(जेबीआईसी) देश में शहरी अवसंरचना के विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जेबीआईसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क) जी, हां ।

(ख) तथा(ग):- पिछले तीन वर्षों के दौरान जेबीआईसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न है 1 दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड फेज-। परियोजना पूर्ण कर ली गई है और शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है ।

अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य	परियोजना
1	दिल्ली	(i)दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 फेज-।
		(ii)दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 फेज-।।
		(iii)दिल्ली मास रैपिड ट्रांस्पोर्ट सिस्टम परियोजना,फेज-2(iii)
2	कर्नाटक	(i)बंगलौर मैट्रो रेल लि0
		(ii)बंगलौर जल आपूर्ति एवं सीवरेज परियोजना
		(iii) बंगलौर जल आपूर्ति एवं सीवरेज परियोजना-।।
		(IV)बंगलौर वितरण उन्नयन परियोजना
3	प0 बंगाल	(i)कोलकाता मैट्रो रेल लि0
		(ii)कोलकाता कचरा प्रबंधन सुधार परियोजना(फेज-।।)
4	आन्ध्र प्रदेश	(i)हैदराबाद बाहरी रिंग रोड फेज -।।बी
		(ii)हुसैनसागर लेक और कैचमेन्ट एरिया सुधार परियोजना
		(iii)हैदराबाद में ट्रांसमिसन प्रणाली आधुनिकीकरण परियोजना
5	पंजाब	अमृतसर नगर में जल आपूर्ति और सीवरेज और सीवेज शोधन
6	उत्तर प्रदेश	(i)आगरा शहर में पेय जल आपूर्ति के लिए गंगा जल परियोजना
		(ii)गंगा कार्य योजना परियोजना(वाराणसी)
7	उड़ीसा	उड़ीसा में भुवनेश्वर और कटक नगरों के लिए एकीकृत सीवरेज और सफाई परियोजना
8	गोवा	गोवा के लिए जल और सफाई परियोजना
9	केरल	तिरुअनन्तपुरम, कोजीखोड़, पट्टुवम, मीनाड,और समीपवर्ती गांवों के लिए केरल जल आपूर्ति परियोजना
10	तमिलनाडु	शहरी अवस्थापना परियोजना

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न 1202

24 अक्तूबर,2008 को उत्तर के लिए

सुरक्षित पेय जल

1202.श्री सुग्रीव सिंह :
श्री जी0एम0सिद्दीश्वरः
श्री किसनभाई वी0 पटेलः
श्री नन्द कुमार सायः

क्या शहरी विकास *मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या देश में सुरक्षित पेय जल की गंभीर समस्या है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाये जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या सरकार ने जल के दोहन और उसकी बर्बादी को रोकने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क) तथा (ख):- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 54वें राउंड के अनुसार 70% शहरी घरों में नल से और 21% में ट्यूबवैल अथवा हैंडपंप से पानी आता है । देश में पर्याप्त तथा साफ पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास अपेक्षित हैं । इस संबंध में शहरी क्षेत्रों में भारत सरकार जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) तथा छोटे व मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास योजना(यूआईडीएसएसएमटी) द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद कर रही है । ग्रामीण क्षेत्रों में भारत निर्माण के ग्रामीण पेय जल घटक तथा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम द्वारा वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है ।

(ग) तथा(घ):- पेय जल आपूर्ति से संबंधित विभिन्न मुद्दों जिसमें पानी का दुरुपयोग तथा बरबादी शामिल है, का व्यापक रुप से समाधान करने के लिए भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल नीति,2002 तैयार की है जिसमें अन्य सभी आवश्यकताओं की अपेक्षा पेय जल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है । इसके अलावा, जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड(सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा सारे देश में भूमिगत जल के दुरुपयोग की मानीटरिंग की जा रही है ।

इस मंत्रालय द्वारा जेएनएनयूआरएम तथा यूआईडीएसएसएमटी के माध्यम से जल क्षेत्र में अनेक सुधारों जैसे सभी भवनों में बरसाती पानी का संग्रहण अनिवार्य करने तथा रीसाइक्ल किए गए पानी का पुनःप्रयोग करने हेतु उपनियमों में संशोधन, को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । मंत्रालय द्वारा सेवा स्तरीय बैंचमार्क के कार्यान्वयन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें पानी की बरबादी/रिसाव को अधिकतम 20% तक सीमित रखने का प्रावधान है ।

--

मूल हिन्दी

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न 1205

24 अक्तूबर,2008 को उत्तर के लिए

भूमि आबंटन नियमों का उल्लंघन

1205.श्री रामदास आठवले:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों , सोसायटियों और संस्थानों को भूमि आबंटित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनमें से कुछ ने भूमि आबंटन नियमों के निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के दौरान उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क) तथा (ख):- जी, हां 1 डीडीए द्वारा दिए गए विवरण अनुलग्नक 'क' पर हैं ।

(ग):- जी, हां ।

(घ) तथा(ड.):- डीडीए ने बताया है कि इस प्रकार के मामलों में लीज़ विलेख समाप्त करने की कार्रवाई शुरु कर दी गई है ।

अनुलग्नक-क

मन्दिर/चर्च के लिए भूआवंटन की सूची

क्रम सं0	सोसायटी का नाम	क्षेत्र/स्थान	आबंटन की तारीख	कब्जा लेने की तारीख	प्रयोजन
1	श्रीसनातन धर्म महादेव मन्दिर सभा	180 वर्ग मी0,सै0-7 रोहिणी	13.5.2003	अभी दिया नहीं गया है ।	मन्दिर
2	गोपाल कृष्ण मन्दिर समिति	115.52 वर्ग मी0,सैक्टर-11, रोहिणी	3.06.2003	27-02-2004	मन्दिर
3	सिन्धी पंचायत पश्चिम विहार	400 वर्ग मी0,सुभम एनकलेव पश्चिम विहार	13.6.2003	5-3-2004	मन्दिर
4	तरुवर सोसायटी	351 वर्ग मी0 सैक्टर-11, रोहिणी	17.6.2003	कोर्ट केस अभी दिया नहीं गया है ।	मन्दिर
5	दिल्ली भजन समाज	400 वर्ग मी0 एचएएफ,सै0-7 द्वारका	28.7.2003	5-3-2004	मन्दिर
6	श्री जैन श्वेतांबर तेरा पंथी सभा	465 वर्ग मी0 सैक्टर-14,ब्लाक बी रोहिणी	8.8.2003	19-7-2004	मन्दिर
7	डायोसिसन सोसायटी नार्थ आफ इंडिया चर्च	400 वर्ग मी0 खिड़की गांव	6.2003	अभी दिया नहीं गया है ।	चर्च
8	न्यू दिल्ली चर्च आफ क्राइस्ट	400 वर्ग मी0,चितरंजन पार्क	18.6.2003	अभी दिया नहीं गया है ।	चर्च
9	मानव कल्याण आध्यात्मिक संस्थान	236.46 वर्ग मी.,लाजपत नगर फेज-।	30.6.2003	जुलाई,2004	धार्मिक प्रयोजन
10	एस.एस.जैन वर्मा सभा	289 वर्ग मी.,कड़वड़डुमा गांव	26.8.2003	22-12-2003	जैन स्मारक मन्दिर

2. सामुदायिक केन्द्र के लिए भूआवंटन की सूची

क्रम सं0	सोसायटी का नाम	क्षेत्र/स्थान	आबंटन की तारीख	कब्जा लेने की तारीख	प्रयोजन
1	टूविंग्स वेलफेयर सोसायटी	628.75 वर्ग0मी0,सै015,ब्लाक ए,रोहिणी	8.4.2003	15.12.2003	सामुदायिक केन्द्र
2	सार धरम वेलफेयर सोसायटी	658 वर्ग मी0 बीयू ब्लाक,प्लाट न0 2 ,पीतमपुरा	8.4.2003	22.7.2003	सामुदायिक केन्द्र
3	मिलनतार वेलफेयर सोसायटी	628.75 वर्ग0मी0, सै015,ब्लाक ए,रोहिणी	8.4.2003	दे दिया गया	सामुदायिक केन्द्र
4	संस्कृति शोशल वेलफेयर सोसायटी	658 .52वर्ग मी0 बीयू ब्लाक,पीतमपुरा	24.4.2003	29.8.2003	सामुदायिक केन्द्र
5	नेशनल कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी	493 वर्ग मी0 ,राम विहार,दिल्ली-92	29.5.2003	14.6.2005	सामुदायिक केन्द्र
6	ओसवाल समाज	774 वर्ग मी0,झिलमिल बी ब्लाक,(विवेक विहार फेज-।	19.6.2003	10.12.2003	सामुदायिक केन्द्र
7	सेन्ट्रल गर्वमेंट इंडस्ट्रियल वर्कर्स सीएचबीएस सोसायटी	400 वर्ग मी0 , पीतमपुरा(आनन्द विहार)	9.9.2004	11.2.2005	सामुदायिक केन्द्र

नर्सरी विद्यालय के लिए भू आबंटन की सूची

1	बैटर फ्यूचर एजुकेशन	772.50 वर्ग0मी0,	7.4.2003	27.1.2004	नर्सरी विद्यालय

	सोसायटी	सै015, ब्लाक ए, रोहिणी			
2	श्री नारायणदास गोयल मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी	772.50 वर्ग0मी0, सै015, ब्लाक ए, रोहिणी	8.4.2003	10.3.2004	नर्सरी विद्यालय
3	आधुनिक विज्ञान तथा कला एजुकेशन सोसायटी	800 वर्ग0मी0, एचएएफ-4, सै04, रोहिणी	8.4.2003	16.9.2004	नर्सरी विद्यालय
4	न्यू कृष्णा एजुकेशन सोसायटी	1000 वर्ग0मी0, सै08, द्वारका	8.4.2003	16.9.2004	नर्सरी विद्यालय
5	विधाता एजुकेशनल सोसायटी	800 वर्ग मी0 सै08, द्वारका	8.4.2003	17.11.2003	नर्सरी विद्यालय
6	दि मूनलाइट एजुकेशन सोसायटी	800 वर्ग मी0, सै0 21, रोहिणी फेज-II	16.4.2003	24.11.2003	नर्सरी विद्यालय
7	स्पष्ट एजुकेशन सोसायटी	807 वर्ग मी0, सै0 बीयू ब्लाक, पीतमपुरा	24.4.2003	21.11.2003	नर्सरी विद्यालय
8	चाइल्ड वेलफेयर संगठन	800 वर्ग मी0, एचएएफ, पाकेट-ई, सैक्टर-12	13.5.2003	21.1.2004	नर्सरी विद्यालय
9	श्रीमती द्रौपती देवी मान एजुकेशन सोसायटी	800 वर्ग मी0, सै0 ए, पाकेट-2-3, वसंत कुंज	13.6.2003	25.11.2004	नर्सरी विद्यालय
10	शान्ति जनक सचेदवा एजुकेशन सोसायटी	989 वर्ग मी0 दिलशाद गार्डन	16.6.2003	22.12.2003	नर्सरी विद्यालय
11	चिल्ड्रन मदर प्राइड एजुकेशन सोसायटी	800 वर्ग मी0 प्रिर्यदर्शनी विहार	17.6.2003	2.1.2004	नर्सरी विद्यालय
12	डा0 अंबेडकर सेवा मिशन	800 वर्ग मी0, सैक्टर-4, रोहिणी	17.6.2003	11.2.2003	नर्सरी विद्यालय
13	विकास दीप एजुकेशनल सोसाइटी	800 वर्ग मी0 ब्लॉक-सीपी पीतमपुरा	19.6.2003		नर्सरी स्कूल
14	चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी	810 वर्ग मी0 सेक्टर-25 रोहिणी	20.6.2003	18.12.2003	नर्सरी स्कूल
15	केके मेहरा एंड डा0 राजीव मेहरा मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी	627 वर्ग मी0 योजना विहार ईस्ट जोन	20.6.2003	16.6.2004	नर्सरी स्कूल
16	स्व0 श्री रामभज वेद आश्रम संस्थान	971 वर्ग मी0 जागृति एन्क्लेव	23.6.2003	25.5.2004	नर्सरी स्कूल
17	प्राइम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी	814 वर्ग मी0 विवेक विहार फेज-1	27.6.2003	12.12.2003	नर्सरी स्कूल
18	शिवा शिक्षा समिति	850.50 वर्ग मी0	18.7.2003	31.10.2003	नर्सरी स्कूल
19	दुर्गा एजुकेशन सोसाइटी	800 वर्ग मी0	28.7.2003	17.11.2003	नर्सरी स्कूल
20	ओजस शिक्षा संस्थान	800 वर्ग मी0	1.8.2003	16.12.2003	नर्सरी स्कूल
21	श्री एचडी गर्ग मेमोरियल एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी	800 वर्ग मी0 सेक्टर-11, द्वारका	18.8.2003	22.1.2004	नर्सरी स्कूल
22	प्रीति एजुकेशन सोसाइटी	800 वर्ग मी0 एच-4, एच-5 पीतमपुरा	18.8.2003	हस्तांतरित नहीं किया गया	नर्सरी स्कूल
23	लार्ड गणेश एजुकेशनल सोसायटी	800 वर्ग मी0 सेक्टर-10 द्वारका	19.8.2003	23.9.2004	नर्सरी स्कूल
24	वेदना एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी	805 वर्ग मी0 बी-5 बी-6 वसंत कुंज	21.8.2003	11.12.2003	नर्सरी स्कूल
25	मिहर एजुकेशनल कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी	799.96 वर्ग मी0 एचएएफ, पाकेट-ए, सेक्टर-22 द्वारका	21.8.2003	12.11.2003	नर्सरी स्कूल

4. अस्पतालों के लिए भू आबंटन की सूची

क्र0सं0	सोसाइटी का नाम	क्षेत्र/स्थिति	आवंटन की तारीख	कब्जे की तारीख
1.	मैसर्स मैक्स हेल्थ इंस्टीट्यूट	0.9 हेक्ट./साकेत 9050 वर्ग मी0	5.9.03	16.6.03
2.	मैसर्स पीसीएल-जेडीआरसी	3.44 हेक्ट./द्वारका	वही	2.6.03
3.	आस्कर बायोटेक प्रा0 लि0	2.97 हेक्ट./ब्लॉक-ए शालीमार बाग	22.12.03	30.6.05
4.	आकाश इंस्टीट्यूट प्रा0लि0	0.60 हेक्ट-/सेक्टर-3 द्वारका	वही	27.10.04
5.	मेट्रो हॉस्पिटल	1.0 हेक्ट/सेक्टर ए-7	वही	17.11.04
6.	वाकहार्डट हॉस्पिटल	0.72 हेक्ट./एच4-एच5 सड़क नं0.43 पीतमपुरा	वही	15.10.04
7.	मुथुत हॉस्पिटल लि0	3.50 हेक्ट/सेक्टर-10 द्वारका	वही	31.5.04
8.	डा0 लाल पथ लैब प्रा0 लि0	3717 वर्ग मी0 रोहिणी/सेक्ट-18	28.4.04	17.11.04
9.	गणेश डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर	616.6 वर्ग मी0. रोहिणी/सेक्ट-8	वही	30.11.04
10.	श्री अग्रसेन नार्थ एक्स वेलफेयर सोसाइटी	720 वर्ग मी0. सीएसई-5, सेक्टर-1, रोहिणी	21.07.06	8.1.07
11.	संजीवनी हेल्थ केयर	0.276 हेक्ट ए-7, प्लाट-19, नरेला	वही	

5. <u>विद्यालयों के लिए भू- आबंटन की सूची</u>

क्र0सं0	सोसाइटी का नाम	क्षेत्र/स्थिति	आवंटन की तारीख	कब्जे की तारीख
1.	फूलनवंती एजु. सोसाइटी	2 एकड़ सेक्टर-10, द्वारका		2 एकड़
2.	फेडाउट एजु. सोसाइटी	2 एकड़ सेक्टर-12, द्वारका	16.6.2003	2 एकड़
3.	दिल्ली भारती शिक्षा सोसाइटी	8000 वर्ग मी0 सेक्टर-23, द्वारका	12.10.2003	8000 वर्ग मी0
4.	जातिका एजु. एंड वेलफेयर सोसइटी	800 वर्ग मी0 ए-10, द्वारका		8000 वर्ग मी0
5.	डा0 वालिया चै.ट्रस्ट	6806.50 वर्ग मी0 मयूर विहार	26.7.2003	6806.50 वर्ग मी0
6.	हाईब्रो एजु. सोसाइटी	प्रीत विहार		
7.	नव जागृति निकेलन एजु. सोसाइटी	2 एकड़ द्वारका	6.6.2003	2 एकड़
8.	लक्ष्मण दास सदचेवा मेमोरियल एजु. सोसाइटी	2 एकड़ सेक्टरा-18, द्वारका	23.1.2004	2 एकड़
9.	फेरी एजु. सोसाइटी	4830 वर्ग मी0 सेक्टर-6, द्वारका	8.8.2003	4830 वर्ग मी0
10.	श्री सोलारे एजु. सोसाइटी	4000 वर्ग मी0 पाकेट-ए, सेक्टर-12,द्वारका		4000 वर्ग मी0
11.	एमडी एजु. सोसाइटी	4050 वर्ग मी0 सेक्टर-24, रोहिणी	10.3.2004	4050 वर्ग मी0.
12.	आशुदेश एजु. एंड वेलफेयर सोसाइटी	1.50 एकड़ सेक्टर-13, रोहिणी		1.50 एकड़
13.	कैलाश मेमोरियल सोसाइटी	8000 वर्ग मी0 सेक्टर-19, द्वारका	10.10.2003	8000 वर्ग मी0
14.	मिलेनियम कल्चरल एजु. सोसाइटी	4044 वर्ग मी0 सेक्टर-10, द्वारका	13.1.2004	4000 वर्ग मी0.
15.	वेद एजु. एंड वेलफेयर सोसाइटी	4000 वर्ग मी0. सेक्टर-10, द्वारका	13.1.2004	4000 वर्ग मी0.
16.	मानव धर्म सोसाइटी	8220 वर्ग मी0.		8220 वर्ग मी0.

		Sector-10, Dwarka		
17.	दुर्गा प्रोवाली खेतान मेमोरियल सेंटर	8000 वर्ग मी0. सेक्टर-8, द्वारका	30.6.2004	8000 वर्ग मी0
18.	फ्लोरेंस नाइटिंगल एजु. सोसाइटी	3999.42 वर्ग मी0 एचएएफ-पाकेट.ए, सेक्टर-16, द्वारका		3999.42 वर्ग मी0
19.	रितनन्द बलदेव एजु. फाउंडेशन	5670 वर्ग मी0 मयूर विहार फेज-I	1.7.2004	5670 वर्ग मी0.
20.	नानकसर थाट ईश्वर दरबाद	2.74 एकड़ ग्रेटर कैलास-II		2.74 एकड़
21.	आनन्द एजु. सोसाइटी	8000 वर्ग मी0 सेक्टर-19, द्वारका		8000 वर्ग मी0.

6. उच्च /तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए भू आवंटन की सूची

क्र0सं0	सोसाइटी का नाम	क्षेत्र/स्थिति	आवंटन की तारीख	कब्जे की तारीख	**उद्देश्य**
1.	टेमेंजियन एरिया वूमेंस एंड चिल्ड्रेनस बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट एसोसिएशन	2800 Sqm.	5.6.2003	5.6.2003	महिला हॉस्टल
2.	चौ. देवीलाल मेमोरियल सोसाइटी	3.4 एकड़ वसंत कुंज, फेज-II	26.2.2003	18.7.2003	इंस्टीटयूशन सेंटर फार एग्रीकल्चर एंड एरिगेशन
3.	ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन	1000 वर्ग मी0 जनकपुरी	13.10.2003	22.9.2004	कार्यालय
4.	आस्कर बायोटेक प्रा0 लि0	2.97 हेक्ट./ब्लॉक-ए शालीमार बाग	22.12.2003	30.6.2005	
5.	आकाश इस्टीट्यूट प्रा0 लि0	0.60 हेक्ट./सेक्टर-3, द्वारका	वही	27.10.2004	
6.	मेट्रो हॉस्पिटल	1.0 हेक्ट./सेक्टर-ए-7, नरेला	वही	17.11.2004	
7.	वाकहार्डट हॉस्पिटल लि0	0.72 हेक्ट/एच4-एच 5 रोड नं0. 43, पीतमपुरा	वही	15.10.2004	
8.	मुथुल हॉस्पिटल	3.50 हेक्ट/सेक्टर-10, द्वारका	वही	31.5.2004	
9.	डा0 लाल पथ लैब प्रा0लि0	3717 वर्ग मी0 Rohini/sec-8	28.4.2004	17.11.2004	
10.	गणेश डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर	616.6 sq. रोहिणी/सेक्टर-8	वही	30.11.04	
11.	श्री अग्रसेन नार्थ एक्स वेलफेयर सोसाइटी	720 वर्ग मी0 सीएसई-5, सेक्टर-1, रोहिणी	21.7.06	8.1.07	

12.	संजीवनी हेल्थ केयर	0.276 हेक्ट ए-7, प्लाट-19, नरेला	वही	
13.	मेक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट	एफसी-50, शालीमार बाग	17.12.07	1.10.2008
14.	अग्रसेन नार्थ एक्स वेलफेयर सोसाइटी	सेक्टर-22, पीएसपी,रोहिणी	17.12.07	प्रक्रियाधीन
15.	महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल	सेक्टर-1, द्वारका	17.12.07	4.7.2008
16.	राकलैण्ड हास्पिटल लि0	सेक्टर-12, द्वारका फेज-I, एचएएफ-बी	17.12.07	कब्जा सौंप दिया गया
17.	डा0 कुलदीप सिंह	सेक्टर-17, द्वारका, फेस-II, एचएएफ	17.12.07	प्रक्रियाधीन

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न 1215

24 अक्तूबर,2008 को उत्तर के लिए

केन्द्रीय भंडार

1215. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसन भाई वी0 पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भंडार को आवंटित सरकारी परिसरों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने देश में सरकारी सेवकों हेतु सामान्य पूल आवास को बढ़ाने के लिए उन परिसरों को वापस लेने का निर्णय किया है, जहां इस समय केन्द्रीय भंडार स्थित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में केन्द्रीय भंडार के इन परिसरों को वैकल्पिक स्थान प्रदान करने का है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क) जी, हां । केन्द्रीय भंडार को आबंटित सरकारी परिसरों की स्थान-वार सूची अनुलग्नक-I और II में है ।

(ख) और(ग):- जी, हां । सरकार ने वर्ष 2005 में यह निर्णय लिया था कि केन्द्रीय भंडार को आबंटित रिहायशी मकानों को तीन वर्षों की अवधि में एक चरणबद्ध ढंग से खाली कराया जाए, जिनमें एक तिहाई मकान नवम्बर,2005 से , प्रत्येक कलेन्डर वर्ष(12 माह) के अंत में खाली कराए जा रहे हैं ।

(घ) और(ड.):- दिनांक 16-4-2008 को लिए गए निर्णय के अनुसार, मास्टरप्लान के पैरा 15.6.3 में सूचीबद्ध 24 मदों अथवा कार्यकलापों के व्यवसाय के लिए रिहायशी परिसरों के भूतल पर अधिकतम 20 वर्ग मी0 क्षेत्र की दुकानों की, अनुमति दी जा सकती है । तदनुसार केन्द्रीय भंडार को पेशकश की गई थी और केन्द्रीय भंडार ने पेशकश को स्वीकार कर लिया है ।

अनुलग्नक-I

सं0 12035/2/94-पोल-II
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
संपदा निदेशालय

दिल्ली और अन्य स्थानों पर केन्द्रीय भंडार को आबंटित रिहायशी वास का ब्यौरा

क्र0सं0	दिल्ली में स्थित स्थान का नाम	आबंटित क्वार्टर का टाइप
1	321, पंडारा रोड	Vए
2	12/143, देव नगर	III
3	एस-II/I, सादिक नगर	III
4	एस-IX / 821,आर के पुरम	III
5	एस-I /107/3, एम बी रोड	III
6	10/165, लोधी कालोनी	III
7	9/4, एंड्रयूज गंज	III
8	11/4, एंड्रयूज गंज	III
9	एफ-147,नारोजी नगर	III
10	20/ए,वसंत विहार	III
11	20/बी,वसंत विहार	III
12	डी-808,मन्दिर मार्ग	III
13	एच-634,सरोजिनी नगर	III
14	एच-638,सरोजिनी नगर	III
15	एस-VII/1013,आर.के.पुरम	II
16	एस-VII/1015,आर.के.पुरम	II
17	एस-V/299,आर.के.पुरम	II
18	एच-379, नानकपुरा	II
19	जी-519,एस.एन.पुरी	II
20	एच-313,काली बाड़ी मार्ग	II
21	एच-314,काली बाड़ी मार्ग	II
22	एच-315,काली बाड़ी मार्ग	II
23	बी-83, किदवई नगर	II
24	बी-85,मोती बाग-I	II
25	बी-87, मोती बाग-I	II
26	535,तिमारपुर	II
27	33-,उत्तरपश्चिमी मोती बाग	III
28	सै0 IX /329,आर के पुरम	II
29	15/190, प्रेम नगर	I
30	15/192, प्रेम नगर	I
31	आई 437, कस्तूरबा नगर	I
32	आई-441, कस्तूरबा नगर	I
33	आई-445, कस्तूरबा नगर	I
34	आई-433, कस्तूरबा नगर	I
35	69,लांसर रोड	II

36	बी-245, सरोजिनी नगर	III
37	सै-III / 1115, आर के पुरम	II
38	एनएच-IV, फरीदाबाद	VI
39	इन्द्रिरा नगर चेन्ने	IV
40	बेसंत नगर चेन्ने	IV
41	थिरुमंगलम चेन्ने	III
42	घाटकोपर, मुम्बई	V

अनुलग्नक-II

दिल्ली में केन्द्रीय भंडार को आबंटित कार्यालय स्थान का ब्यौरा

क्र0सं0	भवन का नाम	आबंटित कार्यालय स्थान
1	ब्लाक सं0 12,सीजीओ कम्पलैक्स	500 वर्ग फुट
2	ब्लाक सं0 9 , सीजीओ कम्पलैक्स	700 वर्ग फुट
3	धौलपुर हाऊस (गैरज सं0 7 और 8)	458 वर्ग फुट
4	धौलपुर हाऊस (गैरज सं0 9)	205 वर्ग फुट
5	पुष्पा भवन	14627 वर्ग फुट
6	ईस्ट ब्लाक-X भूतल(साईकल स्टेंड) वेस्ट ब्लाक-III,विंग -III जीएफ, आर के पुरम,नई दिल्ली	8000 वर्ग फुट

मूल हिन्दी

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न 1216

24 अक्तूबर,2008 को उत्तर के लिए

दिल्ली में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास

1216. श्री रामदास आठवले :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण,दिल्ली में झुग्गी/झोंपड़ी में रहने वाले लोगों का समयबद्ध तरीके से पुनर्वास करने हेतु किसी कार्य योजना का क्रियान्वयन करने पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है और उक्त कार्य योजना पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसके लिए भूमि आवंटित की है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है ;

(ड.) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुछ झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों का पुनर्वास किया है ; और

(च) यदि हां , तो तत्संबंधी , वर्ष-वार,ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क) डीडीए झुग्गी झोंपड़ी निवासियों के पुनर्वास हेतु निम्नलिखित नीतियां अपना रहा है :-

(i) जेएनएनयूआरएम स्कीम के तहत ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण द्वारा झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का पनुर्स्थापन

(ii) झुग्गी/झोपड़ी निवासियों का स्व-स्थानें पुनर्वास, जिसके तहत झुग्गी-झोपड़ी वासियों के पुर्नस्थापन हेतु निम्नलिखित मामले प्रक्रिया में हैं ।

जोन	झुग्गी झोंपड़ी समूह की कुल सं0	झुग्गियों की स्थिति	स्कीम का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	झुग्गियों की अस्थायी सं0	आवासीय इकाइयों की सं0 (प्रस्तावित)
एस डब्ल्यू जेड	3	कुसुमपुर पहाड़ी, बसंत विहार	17.32	5000	5000
		भंवर सिंह कैम्प, बंसत विहार शिव	4.01	2500	2500
		एण्ड सेवा कैम्प, वसंत विहार	0.37	244	244

डीआईआर (एमएम)	6	विकासपुरी के पास कृष्णा पार्क	0.73	450	450
		इंदिरा कैम्प, जे-ब्लॉक, केशोपुर, विकासपुरी	0.81	530	530
		श्याम नगर के ब्लॉक	0.40	400	400
		शंकर गार्ड, विकासपुरी	0.63	613	613
		जेजे कलस्टर सुभाष नगर-I	1.484	600	600
		बूस्टर पंप के पीछे रघुबीर नगर	1.760	4000	1161
रोहिणी	3	सै0 3 रोहिणी में डिस्ट्रिक्ट सेंटर, रोहिणी , सै0 34 और 35 में	1.17	850	850
		पुनर्स्थापन सै0 18, पाकेट बी, ई, एवं एफ रोहिणी	1.64	850	850
		सै.19, बी एवं सी रोहिणी के स्वास्थ्य सुविधा हेतु चिन्हित	2.00	1200	1200
नॉर्थ जोन	5	जेलर वाला बाग, अशोक विहार,	10.20	1200	1200
		कठपुतली कॉलोनी, शादीपुर डिपो,	5.364	2800	2800
		एचएसएसजीपी ब्लॉक पीतमपुरा	1.00	1056	1056
		मेट्रो अपार्टमेंट जहांगीरपुरी	4.00	2000	2000
		एन-86 लारेंस रोड	0.30	198	198
ईस्ट जोन	3	डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिलशाद गार्डन	4.21	2779	2779
		संजय लेक के सामने, पटपड़गंज,	6.59	4349	4349
		खिचड़ीपुर, कल्याण पुरी एवं संजय लेक के सामने	0.93	613	613
एस ई जेड	1	कालका जी एक्सटेंशन में जे जे कलस्टर	10.07	8086	6646
कुल	21		75	32992	36803

उपर्युक्त में से, कटपुतली कालोनी, जेलर वाला बाग, ब्लाक ई एण्ड एफ सेक्टर-18, रोहिणी तथा केम्प-2 केशोपुर, विकासपुरी के लिए स्कीमों को अंतिम रुप दिया गया है तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए विकसित किए जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए क्यू आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं।

(iii) 12.5 वर्ग मीटर और 18 वर्ग मीटर के भूखण्डों का आवंटन (पहले ही विकसित भूखण्डों के अलावा इसे बन्द किया जा रहा है)

(ख) स्व-स्थाने पुनर्वास के अलावा, पांच वर्षों में जेएनएनयूआरएम स्कीम के अंतर्गत 29200 ईडब्ल्यूएस का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 6000 ईडब्ल्यूएस मकान निर्मित किए जाएंगें । इसमें लगभग 900.00 करोड़ रुपए का व्यय होगा । इसके अतिरिक्त, उसी स्थान पर विकास करके अगले पांच वर्षों में लगभग 10,000 परिवारों को पुर्नस्थापित किए जाने की संभावना है ।

(ग) डीडीए ने यह सूचित किया है कि वह इस प्रयोजन हेतु आवश्यकतानुसार भूमि आवंटित कर रहा है । उसी स्थान पर पुनर्वास करने के लिए अलग से भूमि की आवश्यकता नहीं है ।

(घ) उपर्युक्त (ग) के आलोक में लागू नहीं है ।

(ङ.) जी हां ।

(च) डीडीए ने वर्ष 2006 और 2007 के दौरान सामन्य स्कीम के अंतर्गत क्रमशः 1184 और 507 झुग्गी-झौपड़ी निवासियों को पुर्नस्थापित किया है । वर्ष 2008 के दौरान, लगभग 1650 झुग्गी-झौपड़ी वासियों को पुनर्वास प्रदान किया जाना है । इसमें लगभग 1949.44 लाख रुपए व्यय होगा ।

--

प्रश्न सं0 1137

1-4-2007 से 31-3-2008 के दौरान हडको द्वारा संस्वीकृत ऋण

(लाख रुपये में)

राज्य	एजेंसी	ऋण धनराशि
आन्ध्र प्रदेश	अखिलभारतीय पर्यावरण एवम् ग्रामीण	0.00
	मैसर्स कैप्सटोन कंस्ट्र.प्रा0लि0	177.50
	घरोंदा बिल्डर्स एंड डवेलपर्स	1106.00
	मैसर्स ग्लोबल शैल्टर प्रा0लि0	9000.00
	मैसर्स लिववैल कंस्ट्र.	125.00
	मैसर्स इनकोर आईएनएफ प्रा0लि0	2500.00
	मैसर्स एमवीएस सूर्यनारायण राजू एंड अदर्स	130.00
	मैसर्स वरटैक्स प्रा0लि0	900.00
जोड		13938.50
असम	तिनसुखिया देव ओठ	968.00
जोड़		968.00
बिहार	मैसर्स आशा कंस्ट्र.(प्र0)लि0	77.00
	अमर होम्स प्रा0 लि0	150.00
	मैसर्स बिहार स्टेट रुरल को-ओप.एचएसजी एफईडी	890.56
	मैसर्स फ्रैंडलीज एस्टेट एंड एशेंशियल प्रा0	250.00
	मैसर्स इंपिरियल फाउंडेशन	125.00
	कश्यप कंस्ट्र. प्रा0 लि0	170.00
	कामिनी डवैलेपर्स प्रा0 लि0	80.00
	कामिनी डवैलेपर्स प्रा0 लि0	200.00
	मैसर्स लखन होम्स एंड रिसोर्ट प्रा0 लि0	75.00
	लखन होम्स लि0	160.00
	लखन होम्स लि0	140.00
	लखन होम्स लि0	155.00
	मोन्ट ब्लैंक कंस्ट्र. प्रा0 लि0	86.00
	मैसर्स मातेश्वरी कंस्ट्र एंड डवैलेपर्स	123.00
	मैरिडियन कंस्ट्र.इण्डिया लि0	150.00
	एमकेएस एंगीकोन प्रा0लि0	185.00
	ओआरबी डवैलेपर्स प्रा0लि0	50.00
	प्रासंभि डिजाइन एंड कंस्ट्र.प्रा0लि0	125.00
	मैसर्स स्टार इण्डिया कंस्ट्र.प्रा0लि0	220.00
	मैसर्स स्टार इण्डिया कंस्ट्र.प्रा0लि0	80.00

	मैसर्स एसआरके कंस्ट्र.प्रा0लि0	100.00
	सार्क एंगीकोन	200.00
	मैसर्स तिरुपति होम्स प्रा0लि0	100.00
	मैसर्स तिरुपति होम्स प्रा0लि0	65.00
	मैसर्स तिरुपति होम्स प्रा0लि0	200.00
जोड़		4156.56
चंडीगढ़	इंडियन रेलवे वैलफेयर ओर्ग.	25000.00
जोड़		25000.00
छत्तीसगढ़	अमृत होम्स प्रा0लि0	250.00
	अमृत होम्स प्रा0लि0	185.00
	मैसर्स प्रयास	200.00
	गौरव परमोटर्स एंड बिल्डर्स	100.00
	मैसर्स हर्ष जैन	229.81
	म्युनिसिपल कारपोरेशन बिलासपुर	0.00
	म्युनिसिपल कारपोरेशन जगदालपुर	169.36
	रायपुर देवओठ	2880.00
	रायपुर देवओठ	1555.20
	सीताराम अग्रवाल एंड संस	120.00
	स्टेट अबर्न डवलपमेंट एजेंसी	328.84
	स्टेट अबर्न डवलपमेंट एजेंसी	420.42
	स्टेट अबर्न डवलपमेंट एजेंसी	44.97
	स्टेट अबर्न डवलपमेंट एजेंसी	1961.87
	स्टेट अबर्न डवलपमेंट एजेंसी	43.82
जोड़		8489.29
दिल्ली	एरियंस बिल्डर प्रा0लि0	2500.00
	एसोटेक सुपरटेक ज्वाइंट वैंचर	10000.00
जोड़		12500.00
गुजरात	मैसर्स भगवती एंटरप्राइज	600.00
	दुबारिया डवैलेपर्स	500.00
	गहलानी बिल्डर्स	790.00
	गहलानी बिल्डर्स	4800.00
	मैसर्स कंतन कोरपोरेशन	81.90
	मैसर्स जगदम्बा कोरपोरेशन	400.00
	मैसर्स जौली डवैलेपर्स	1000.00
	जय केसर भवानी डवैलेपर्स प्रा.लि.	1250.00
	जय केसर भवानी डवैलेपर्स प्रा.लि.	750.00
	मैसर्स मानव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	720.00
	मैसर्स मानव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	850.00
	मैसर्स मुर्गी ट्रेडर्स एंड डवैलेपर्स	103.18
	मैसर्स वर्ज डवैलेपर्स	725.00
	निर्मल कोरपोरेशन	200.00
	मैसर्स नीत एंटरप्राईज	1000.00

	मैसर्स रेखा कंस्ट्र.कम्पनी	1150.00
	राजहंस कंस्ट्र.प्रा.लि.	1175.00
	मैसर्स सूर्यम डवैलेपर्स	435.00
	सन डवैलेपर्स	500.00
	मैसर्स सारसवत एंटरप्राईज	417.00
	मैसर्स समर्थय इंफ्रास्ट्रक्चर	590.00
	श्री कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर	400.00
	मैसर्स सालासार कारपोरेशन	700.00
	वेद कोरपोरेशन	300.00
	मैसर्स यश डवैलेपर्स	250.00
जोड		19687.00
हरियाणा	हरियाणा पुलिस हाऊसिंग कारपो.	6000.00
	टयूलिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0	2500.00
जोड़		8500.00
हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अबर्न डवैलेपमेंट अथोरिटी	2500.00
जोड़		2500.00
झारखंड	अनुशका बिल्डकोन प्रा0लि0	160.00
	अनुमेहा कंस्ट्र. एंड डवैलेपर्स प्रा.लि.	250.00
	बीएन सिविटेक जमशेदपुर	250.00
	दीपक एंड एशोशिएट	125.00
	लता कलोनिज प्रा0लि0	80.00
	लता कलोनिज प्रा0लि0	143.00
	त्रिमूर्ती आपर्टमेंट प्रा0 लि0	250.00
जोड़		1258.00
कर्नाटक	अव्वा डवैलेपर्स	275.00
	अस्तित्व परमोटर्स एंड डवैलेपर्स प्रा0लि0	4000.00
	दोनता डवैलेपर्स	522.60
	धम्मंगी डवैलेपर्स प्रा0लि0	2275.00
	जी आर कंस्ट्र.	900.00
	इनफाईनाइट बिल्डर्स एंड डवैलेपर्स	487.00
	इनफाईनाइट बिल्डर्स एंड डवैलेपर्स	790.00
	क्रिस्टल प्रौजक्ट(इण्डिया) प्रा0लि0	470.00
	मंजूनाथ लैंड डवैलेपर्स एंड कंस्ट्र.	1170.00
	महावीर एस्टेटस	1100.00
	एसएलएन इंफ्राटेक प्रा0लि0	10000.00
	स्पैक्ट्रम रिअलटर्स	850.00
	साई स्निगधा कंस्ट्र.प्रा0लि0	400.00
जोड़		23239.60
केरल	क्रिस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर लि0	1200.00

	त्रिवेन्द्रम में गोल्फ व्यू प्रोजक्ट	326.00
जोड़		1526.00
मध्य प्रदेश	आकृति डवैलिंग प्रा0लि0	2300.00
	मैसर्स एलिक्सियर इंफ्रास्ट्रक्चर भोपाल	600.00
	मैसर्स ई2 सिक्यिोरिटीज एंड डीके कंस्ट्र.प्रा0लि0	550.00
	मैसर्स आइडियल प्रोप्रटिज जबलपुर	618.00
	कृष्णा बिल्डर्स एंड डवैलेपर जबलपुर	615.00
	एलपी हाउसिंग बोर्ड	918.00
	मैसर्स श्री बिल्डर एंड डवैलेपर	550.00
	श्री कबरा होम्स एंड फिक्ल लि.इन्दौर	250.00
जोड़		6401.36
महाराष्ट्र	मैसर्स बंसल इस्पात प्रा0लि0	1100.00
	ईफ्फिल डवैलेपर्स एंड रिलेटर्स प्रा0लि0	1250.00
	ईफ्फिल डवैलेपर्स एंड रिलेटर्स प्रा0लि0	1250.00
	गोयल बदर्स एंड रायसोनी देव प्रा0लि0	675.00
	गोयल गंगा एसोशिएट	800.00
	गोयल गंगा कंस्ट्र.	950.00
	गंगा ग्लैक्सी डवैलेपर्स	1250.00
	गोयल प्रोप्रटीज	1130.00
	नन्दगुडे पाटील डवैलेपर्स प्रा0लि0	1250.00
	शक्ति डवैलेपर्स	865.00
	श्री गणेश कंस्ट्र.	1240.00
जोड़		11760.00
मिजोरम	जोरम इंडस्ट्रीयल डवैलेपमेंट कारपोरेशन	723.30
जोड़		723.30
नागालैंड	सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स डिविजन	250.00
	डिपाटमेंट आफ फोरेस्ट , नागालैंड सरकार	800.00
	डिपाटमेंट आफ फोरेस्ट , नागालैंड सरकार	100.00
	डिपाटमेंट आफ एक्साईज , नागालैंड सरकार	100.00
	जियोलोजी एंड माईनिंग डिपार्टमेंट	150.00
	होम डिपार्टमेंट नागालैंड सरकार	427.00
	होम डिपार्टमेंट नागालैंड सरकार	1000.00

	होम डिपार्टमेंट नागालैंड सरकार	900.00
	इंफोरमेशन एंड पब्लिक रिलेशन	194.00
	नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट	118.00
	पीडब्ल्यूडी नागालैंड सरकार	400.00
	टैक्शेसन डिपार्टमेंट	50.00
जोड		4489.00
उड़ीसा	सरबनी कंस्ट्र.प्रा0लि0	116.00
जोड़		116.00
पंजाब	सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलोइज वैलफेयर हाउसिंग ओरगेनाइजेशन	2200.00
	सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलोइज वैलफेयर हाउसिंग ओरगेनाइजेशन	2000.00
	सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलोइज वैलफेयर हाउसिंग ओरगेनाइजेशन	15000.00
जोड़		19200.00
तमिलनाडु	कुमारराजा फाउंडेशन	486.96
	मैसर्स केजीयेस नेलसन प्रोजेक्ट प्रा0लि0	1190.00
	केजीयेस रेजिडेंसी प्रा0लि0	425.00
	वर्गोरिलेटर प्रा0लि0	4242.00
जोड़		6343.96

मूल हिन्दी

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न 1995
18 दिसम्बर,2008 को उत्तर के लिए

झुग्गीवासियों के लिए फ्लैट

1995. श्री कलराज मिश्र :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में 50 झुग्गीवासियों के लिए बहुमंजिला फ्लैट बनाने की मंत्रालय की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसको कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

उत्तर
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अजय माकन)

(क):- जी, नहीं ।

(ख)और(ग):- उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता ।

****

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न 1996
18 दिसम्बर,2008 को उत्तर के लिए

दिल्ली नागरी कला आयोग

1996. श्रीमती सईदा अनवरा तैमूरः
श्री विजय जवाहरलाल दर्डा:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी के शहरी एवं पर्यावरणीय प्रारुप की सौंदर्य गुणवत्ता को संरक्षण, विकास एवं उसे बचाए रखने के लिए सरकार को परामर्श देने हेतु 1973 में स्थापित दिल्ली नागरी कला अधिनियम आयोग (डी0यू0ए0सी0) के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो फरवरी, 2008 में इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा उनके कार्य में हस्तक्षेप किए जाने का आरोप लगाते हुए एवं शहर के भविष्य के बारे में न सोचते हुए अपने पद छोड़ देने का क्या कारण है; और

(ग) अवसंरचना की अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी के पूर्ण विकास के लिए योजनाएं बनाने तथा कार्यान्वित करते हुए सौंदर्य के साथ समझौता नहीं करते हुए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अजय माकन)

(क) जी, हाँ ।
(ख) 3 वर्षों की अवधि के लिए गठित पिछले दिल्ली नगर कला आयोग (डीयूएसी) के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल, 2008 के प्रथम सप्ताह तक था । पिछले दिल्ली नगर कला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने दिनांक 20.2.2008 को इस्तीफा दे दिया था, जिसमें राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से संबंधित परियोजनाओं की मंजूरी में आयोग द्वारा विलंब किए जाने के बारे में मीडिया में नकरात्मक रिपोर्ट प्रकाशित किए जाने जैसे कारणों का उल्लेख किया गया था । आयोग का दिनांक 3.6.2008 से पुनर्गठन किया गया है ।

(ग) दिल्ली नगर कला आयोग, दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम,1973 के अन्तर्गत इसे दिए गए अधिदेश के तहत कार्य करता है ।

******

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न 1997

18 दिसम्बर,2008 को उत्तर के लिए

डी0डी0ए0 के बचे हुए मकान

1997. श्री शरद अनंतराव जोशी:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण पूर्व योजनाओं के अपने बाकी बचे फ्लैटों को नई आवास योजना के अंतर्गत कम आमदनी वर्ग एवं मध्यम आमदनी को इत्यादि के लोगों को नकद में देने का आमंत्रण दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके निर्माण को पूरा किये जाने के वर्ष, उस समय के लागत मूल्य और उस समय के पंजीकृत लोगों को प्रत्येक अवसर पर आवंटन के लिए पेश की गई कीमत का वर्ग-वार एवं स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क):- दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ''नकद भुगतान'' आधार पर लगभग 5000, 1- बैडरुम, 2- बैडरुम और 3 बैडरुम फ्लैटों के आवंटन हेतु ''डीडीए हाऊसिंग स्कीम-2008'' 6 अगस्त, 2008 से 16 सितम्बर, 2008 तक शुरु की गई थी । इनमें से, 3190 फ्लैट नवनिर्मित हैं और शेष एलआई/एमआईजी बाकी बचे फ्लैट हैं जो लौटा दिए जाने/रद्द कर दिए जाने के कारण उपलब्ध हुए है ।

(ख):- बाकी बचे फ्लैटों के निर्माण को पूरा किये जाने के वर्ष, उस समय के लागत मूल्य का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है । प्रत्येक अवसर पर लागत के संदर्भ में, जब ये फ्लैट पंजीकृत लोगों को आवंटन के लिए पेश किए गए थे, के बारे में डीडीए ने बताया है कि मांग-सह-आवंटन पत्र के जारी करने के समय के मूल्य लागू थे ।

****

अनुलग्नक

दिनांक 18.12.2008 के राज्य सभा अतरांकित प्रश्न सं0 1997 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मध्य आय वर्ग श्रेणी के फ्लैटः

दो बैडरुम फ्लैटः

क्र0सं0.	स्कीम/स्थान का नाम	पूरा करने का वर्ष	प्रथम आबंटन का वर्ष	फ्लैट के प्लिंथ क्षेत्र की रेंज (वर्ग मी0 में)	शुरुआती लागत की रेंज लाख रु0 में
1	शालीमार बाग, डीए ब्लॉक	2006	2007	74.62 से 84.21	19.20 से 22.50 रु0
	शालीमार बाग, सीडी ब्लॉक	1001	1002	83.20 से 85.10	.8.35 से 9.75 रु0
2	जहांगीरपुरी (2/4 मंजिला)	1993	1993	63.48 से 7136	3.18 से 4.10 रु0
3	पीड़ागढ़ी	2004	2004	100.84 से 104.88	8.60 से 9.75 रु0
4	कोंडली घरौली	1994	1997	80.04 से 88.76	5.60 से 6.90 रु0
5	रोहिणी सेक्टर-28	2006	2007	68.00 से 72.00	12.25 से 11.75 रु0
6	ईस्ट ऑफ लोनी रोड	1999	1999	8.63.00 से 69.05	5.60 से 7.70 रु0
7	नन्द नगरी	1985	1986	64.00 से 70.93	1.10 से 1.40 रु0
8	नरेला-9 और	1993-1994	1994	76.47 से 79.96	.2.95 से 5.10 रु0
	ए-10		1994		4.85 से 4.90 रु0

क्र0सं0.	स्कीम/स्थान का नाम	पूरा करने का वर्ष	प्रथम आबंटन का वर्ष	फ्लैट प्लिंथ क्षेत्र की रेंज (वर्ग मी0 में)	शुरुआती लागत की रेंज लाख रु0 में
9	द्वारका सेक्टर-6 और 10	1995	1996	95.87 से 105.55	5.45 से 7.85 रु0
	द्वारका सेक्टर-12	1996	1998	81.72 से 91.65	7.35 से 8.10 रु0
	द्वारका सेक्टर -13 और 17	1997	1998	66.58 से 84.47	56.35 से 7.25 रु0
	द्वारका सेक्टर - 1. 7 और 9 और 19-ए	1998	1999	77.01 से 113.23	85.4.39 से 7.50 रु0
	द्वारका सेक्टर - 18-बी	2005	2006	68.88 से 87.34	16.78 से 21.20 रु0
10	रोहिणी सेक्टर-15 और 18	1989	1990	68.13 से 76.98	155 से 2.20 रु0
	रोहिणी सेक्टर -19	1992	1992	74.23 से 81.35	4.28 से 4.70 रु0
	रोहिणी सेक्टर -11	1994	199476.92 से 81.36		4.88 से 5.13 रु0
	रोहिणी सेक्टर - 23	1994	1994	76.69 से 90.37	4.40 से 5.15 रु0
	रोहिणी सेक्टर -24	1993	199476.12 से 92.47		4.85 से 5.20 रु0
11	झिलमिल	1993	1993	65.46 से 71.96	8S.3.19 से 4.24 रु0

निम्न आय वर्ग श्रेणी
एक बैडरुम फ्लैट

क्र0सं0	स्कीम/स्थान का नाम	पूरा करने का वर्ष	प्रथम आबंटन का वर्ष	फ्लैटों के प्लिंथ एरिया रेंज (वर्ग मी0)	शुरुआती लागत की रेंज लाख रु0 में
1	रोहिणी सेक्टर--16 (ब्लॉक-जे)	2007	2007	46.71 से 49.55	8.70 से 9.10 रु0
	रोहिणी सेक्टर--17, ब्लॉक-सी	2002	2003	46.38 से 47.37	
	रोहिणी सेक्टर--18, पाकेट-3ब्लॉक-ई	2005	2005	42.39 से 45.16	3.00से 3.10 रु0
	रोहिणी सेक्टर--20 और 21	1993	1993	40.67 से 47.43	5.65 से 6.05 रु0 .2.85से 3.25 रु0
2	लोक नायक पुरम	2006	2006	42.00 से 44.33	.7.70 से 8.10 रु0
3	नरेला ए-9 और ए-10	1994	1994	44.31से 52.63	2.50 से 2.90 रु0
	नरेला ब्लॉक- बी-2	2006	2006	41.43 से 41.99	6.00 से 6.20 रु0
4	द्वारका सेक्टर-18 बी	2004	2005	44.79 से 46.14	4.50 से 5.00 रु0
	द्वारका सेक्टर-II, पाकेट--4	2006	2007	46.02 से 47.83	.9.00से 10.00 रु0
5	पीतमपुरा पाकेट-जी एंड जे (यू)	1991	1991	44.55 से 41.38	1.60 से 2.00 रु0

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न 3146

19 दिसम्बर,2008 को उत्तर के लिए

रोहिणी आवासीय योजना, फेज-III

3146. श्री उदय सिंह :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोहिणी आवासीय योजना, फेज-III, दिल्ली के विभिन्न सेक्टरों की सड़कों तथा पार्कों की स्थिति काफी जीर्ण-शीर्ण है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनका समुचित रख-रखाव कब तक कर लिए जाने की संभावना है ?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क):- जी, नहीं । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उक्त क्षेत्र में सड़कें अच्छी स्थिति में है तथा कुछ सड़कों के हिस्सों की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है और यह कि पार्कों का भी अच्छी तरह से रखरखाव किया जा रहा है ।

(ख)तथा(ग):- उपरोक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता ।

******

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न 3148

19 दिसम्बर,2008 को उत्तर के लिए

दिविप्रा आवासीय योजना, 2008

3148. श्री बची सिंह रावत "बचदा" :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिविप्रा आवासीय योजना, 2008 के अंतर्गत अपने पति/अपनी पत्नी के साथ साझे रुप से दिविप्रा आवासीय फ्लैट का स्वामित्व रखने वाला पति/पत्नी निजी हिस्सेदारी 66.9 वर्ग मीटर से कम हो, आवेदन करने के लिए पात्र थे;

(ख) क्या आवेदन द्वारा यह वचनबद्ध देने की आवश्यकता होती है कि दिल्ली के शहरी क्षेत्र में फ्री होल्ड या लीज होल्ड आधार पर किसी आवासीय भूखंड या घर का पूर्ण का आंशिक स्वामित्व उसके पास नहीं है जिससे इस योजना के अंतर्गत पात्रता मानदण्ड का विरोध हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क)और(ख):- जी, हाँ ।

(ग):- दिल्ली विकास प्राधिकरण(डीडीए) को निर्देश दिए गए हैं कि वह भावी स्कीमों में समुचित संशोधन करे ।

****

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न 3150

19 दिसम्बर,2008 को उत्तर के लिए

दिल्ली में सीजीएचएस फ्लैटों का आबंटन

3150. श्री नवीन जिन्दल :

क्या शहरी विकास *मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी सीजीएचएस फ्लैटों के जल्द आबंटन हेतु सरकार को कोई निदेश दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यायालय का निदेश क्रियान्वयन हेतु भी लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क)से(घ):- *राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के अधीन कार्य कर रहे कापरेटिव सोसाइटियों के रजिस्ट्रार(आरसीएस) सूचित किया है कि योगीराज कृष्णा कापरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम डीडीए और अन्य के मामले में सीडब्ल्यूपी सं0 10066/2004 पर विचार करते समय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.08.2008 के अपने आदेशों में उक्त न्यायालय आदेश में निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर दिल्ली में 57 कापरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को फ्लैटों के आबंटन की प्रक्रिया शुरु करने के लिए निर्देश दिए थे । उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, सभी संबंधित कापरेटिव सोसाइटियों को दिल्ली कापरेटिव सोसाइटी नियम, 2007 की अनुसूची-VII की अनुपालन में कापरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार को 15 दिन के भीतर सदस्यों की सूची के साथ सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं ।*

कापरेटिव सोसाइटियों के रजिस्ट्रार ने यह भी सूचित किया कि अभी तक केवल 11 सोसाइटियों में केवल कछ ही दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं ओर यह कि इस मामले में कार्रवाई सोसाइटियों से पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर करती है ।

****

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न 3153

19 दिसम्बर,2008 को उत्तर के लिए

विस्तार योग्य आवास योजना

3153. श्रीमती जयाप्रदा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डीडीए की विस्तार योग्य आवास योजना(ईएचएस) के अंतर्गत कितने तल निर्माण करने की अनुमति है;

(ख) क्या कुछ आबंटियों ने अनुमत्य सीमा से ज्यादा तलों का निर्माण किया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे फ्लैटों की संख्या कितनी है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क):- दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि डीडीए की विसतार योग्य आवास योजना में अधिकतम तलों की सं0 ढाई तल स्वीकृत है अर्थात भू+प्रथम+आंशिक द्वितीय और कुछ मामलों में 3 तल अर्थात भू+प्रथम+द्वितीय तल स्वीकृत है ।

(ख)और(ग):- इसके अलावा डीडीए ने सूचित किया है कि अनाधिकृत निर्माण का पता लगाने हेतु समय-समय पर सर्वेक्षण किए जाते है और इस तरह के अनाधिकृत निर्माण का ढहाने और सील करने की कार्रवाई की जाती है, जो एक सतत प्रक्रिया है ।

****

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न 3154

19 दिसम्बर,2008 को उत्तर के लिए

संपत्ति का अधिग्रहण

3154. श्री के0एस0 राव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनधिकार जमीन पर कब्जा जमा लेने वालों द्वारा संपत्ति के स्वामी से प्रतिकूल कब्जे तथा संपत्ति को अपने नियंत्रण में लेने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय और संपत्ति के स्वामित्व संबंधी अधिकारों पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ख) हमारे समाज के सामाजिक तथा अर्थिक विकास पर संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन के प्रभाव के संबंध में क्या आकलन/निष्कर्ष निकाले गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने तथा संपत्ति के स्वामी को संपत्ति शीघ्रातिशीघ्र लौटाने को सुनिश्चित करने के लिए उपबंध सहित संपत्ति के अधिकार को एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार के रुप में मान्यता देने के लिए कानून अधिनियम करने/संशोधन करने तथा अनधिकार जमीन पर कब्जा जमा लेने वालों को सजा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अजय माकन)

(क):- अनधिकार जमीन पर कब्जा जमा लेने वालों द्वारा संपत्ति के स्वामी से प्रतिकूल कब्जे तथा संपत्ति को अपने नियंत्रण में लेने संबंधी उक्त निर्णय तथा संपत्ति के स्वामित्वाधिकार पर इसके प्रभाव का ब्यौरा होमजी वाघाजी जय बनाम वी0के0 हरिजन(2008) 12 स्केल 697 मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में उपलब्ध है ।

(ख):- ब्यौरा उच्चतम न्यायालय के निर्णय में उपलब्ध है, जैसा कि उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लिखित है ।

(ग)और(घ):- सरकार ने इस मामले को विधि आयोग को भेजने का निर्णय लिया है ।

******

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 3168
19 दिसम्बर,2008 को उत्तर के लिए

डी0डी0ए0 अधिकारियों के विरुद्ध सी0बी0आई0 जांच

3168. डा0 धीरेन्द्र अग्रवालः

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सी0बी0आई0 ने कथित रुप से भ्रष्टाचार में संलिप्त डी0डी0ए0 अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध स्वीकृति प्रदान की गई है और उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध स्वीकृति को रोककर रखा गया है; और

(घ) सी0बी0आई0 जांच के आधार पर निलंबित एवं बरखास्त किए गए डी0डी0ए0 अधिकारियों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अजय माकन)

(क):- जी, हाँ ।

(ख) व (ग):- ऐसे मामलों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है जिनमें अभियोजन के लिए स्वीकृति दी गई है । डीडीए ने यह भी सूचित किया है कि किसी भी मामले में डीडीए अधिकारियों/स्टाफ के अभियोजन हेतु स्वीकृति को रोका नहीं गया है ।

(घ):- डीडीए द्वारा यथा सूचित निलंबित डीडीए के कार्मिकों/अधिकारियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है और दोषी पाए जाने पर बर्खास्त किए गए डीडीए के अधिकारियों/कार्मिकों का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है ।

****

अनुलग्नक-I

सीबीआई की सिफारिश पर डीडीए के अधिकारियों/स्टाफ के संबंध में 1.4.2002 से जारी अभियोजन हेतु स्वीकृति का ब्यौरा

क्र0 सं0	नाम एवं पदनाम(श्री/सर्वश्री)	जारी करने की तारीख
1.	एस0के0 मित्तल, ईई	11.6.2002
2.	डी0वी0 सिंह, एई	11.6.2002
3.	हरि शंकर शर्मा,जेई	20.6.2002
4.	सुशील कुमार भारद्वाज, एलडीसी	23.7.2002
5.	आर0के0 शर्मा जेई(सि.)	27.11.2002
6.	प्रीतम सिंह, एडी	12.5.2003
7.	सतवीयार सिंह, यूडीसी	12.5.2003
8.	अशोक कपूर, सीनियर पीएस	12.5.2007
9.	अजीत कुमार, एलडीसी	4.8.2003
10.	एस0के0 मित्तल, ईई(सि.)	1.9.2003
11.	डी0वी0 सिंह, एई (सी)	1.9.2003
12.	महेन्दर सिंह त्यागी, जेई(सि.)	6.8.2003
13.	अशोक कपूर, सीनियर पीएस	31.3.2004
14.	बदर माजिद, जेई (सि.)	15.12.2003
15.	करमवीर सिंह, जेई	3.12.2004
16.	जगदीश चन्दर, निदेशक(भूमि)	23.3.2004
17.	वी0के0 सिंघल, निदेशक (आवास)	7.4.2004
18.	के0आर0 पंत, एफआई	18.5.2004
19.	एच0सी0 वर्मा, एडी	5.10.2004
20.	विजय रिस्बद,आयुक्त(प्लानिंग)	5.1.2005
21.	अशोक कपूर, सीनियर ओएस	14.12.2004
22.	के0एम0 जोहरी, जेई(सि.)	5.8.2005
23.	एम0के0 शर्मा, जेई	5.8.2005
24.	हरि मोहन, जेई	11.11.2005
25.	मेहरोज खान	13.12.2005
26.	ओ0पी0 राय, ईई(सि.)	20.12.2005
27.	श्री आई0पी0 उनीयाल, सर्वेयर	29.6.2006
28.	श्री राम, चैनमैन	29.06.2006
29.	राकेश कुमार शर्मा, पटवारी	25.5.2007
30.	जे0आर0 गौड़, एडी	5.11.2007
31.	श्याम बाबु, एई	5.11.2007
32.	अजय कुमार शर्मा, सहायक	5.11.2007
33.	एस0के0 शर्मा, जेई	5.11.2007
34.	बी0पी0 राठौर, जेई	19.12.2007
35.	सोहन पाल शर्मा, यूडीसी	26.12.2007
36.	शशिभानू, जेई	11.6.2008
37.	आर0के0 शर्मा, बेल्दार	11.6.2008
38.	गुरचरण सिंह, एडी	12.6.2008
39.	जे0बी0 जोशी, चपरासी	12.6.2008
40.	सुनिल कुमार गुप्ता, यूडीसी	23.6.2008
41.	एन0के0 अरोड़ा, जेई(सि)	.जारी किया जा रहा है ।
42.	शिव कुमार, माली	.जारी किया जा रहा है ।

अनुलग्नक- II

सीबीआई जांच के आधार पर 1.4.2002 से निलंबित डीडीए के कार्मियों/अधिकारियों का ब्यौरा

क्र0सं0.	कार्मिक/अधिकारी का नाम तथा पदनाम	निलंबन की तारीख
1.	सुशील कुमार भारद्वाज, एलडीसी	23.7.2002
2.	विजय रीस्बद, आयुक्त(प्लानिंग)	7.4.2003
3.	जगदीश चन्दर, निदेशक(भूमि)	7.4.2003
4.	बदर माजीद, जेई	17.3.2003
5.	के0आर0 पंत, एफआई	1.9.2003
6.	हरि मोहन, जेई	6.5.2004
7.	ओ0पी0 राज, ईई	5.7.2005
8.	आई0पी0 उनीयाल, सर्वेयर	9.9.2005
9.	श्री राम, चैनमैन सुपरवाईजर	9.9.2005
10.	लक्ष्मीचन्द, एस/जी	9.9.2005
11.	मेहरोज खान, जेई	7.11.2005
12.	राकेश कुमार शर्मा, पटवारी	12.4.2006
13.	जे0आर0 गौड़, एडी	17.8.2007
14.	ए0के0 मिश्रा, डीडी	17.8.2007
15.	गुरुचरण सिंह, एडी	4.1.2008
16.	जे0बी0 जोशी, चपरासी	4.1.2008
17.	शशीभूषण, जेई	15.1.2008
18.	आर0के0 शर्मा, बेलदार	15.1.2008
19.	सुनिल कुमार, गुप्ता, यूडीसी	8.4.2008
20.	एन0के0 अरोड़ा, जेई	18.6.2008
21.	नरेश कुमार , मेट	18.6.2008
22.	शिव कुमार, मेट	18.6.2008

अनुलग्नक- III

सीबीआई जांच के आधार पर दोषी पाए जाने पर 1.4.2002 से बर्खास्त किए गए डीडीए अधिकारियों का ब्यौरा

क्र0सं0	नाम तथा पदनाम सर्व/सर्वश्री	बर्खास्तगी की तारीख
1.	एस0सी0 जोशी, जेई	15.12.2003
2.	जी0एस0 परवानी, जेई	6/2007
3.	अभिलाष सिंह, मेट	21.11.2005
4.	अन्ना वन्कलादे, यूडीसी	23.10.2003
5.	हरि शंकर शर्मा, जेई	10.7.2008
6.	पीसीडी पम्नानी, जेई	30.11.2007
7.	आर0के0 शर्मा, जेई	25.6.2008